



Central Zoo Authority  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण



# वार्षिक रिपोर्ट 2020 - 2021



केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
नई दिल्ली



# वार्षिक प्रतिवेदन 2020—21



**Central Zoo Authority**  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण



## सदस्य सचिव की ओर से

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (कें.चि.प्रा.), जो की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय है, फरवरी 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया। अधिनियम में संशोधन के माध्यम से वर्ष 1991 में संशोधन किया गया तथा भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में एक अलग अध्याय, अध्याय IVA, जिसमें धारा 38ए से 38जे शामिल हैं, को जोड़ा गया था।

कें.चि.प्रा. का मुख्य उद्देश्य देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन की निगरानी करना और उन्हें वन्यजीव आवास, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के निर्धारित मानकों तक उठाना और *एक्स-सीटू* संरक्षण द्वारा *इन-सीटू* संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों को पूरक बनाना है।

अधिनियम, राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 और चिड़ियाघर की मान्यता नियम, 2009 (2013 में संशोधित) द्वारा निर्देशित, कें.चि.प्रा. वैधानिक कार्य जैसे वन्यजीव आवास, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल, विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के मानकों और मानदंडों को निर्दिष्ट करना, संरक्षण प्रजनन, और भारतीय चिड़ियाघरों के भीतर तथा भारतीय चिड़ियाघरों एवं विदेशी चिड़ियाघरों के बीच वन्यजीव विनिमय, चिड़ियाघर कर्मियों की क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी, आवधिक मूल्यांकन और चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है।

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38सी के तहत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। प्रशासनिक समिति, तकनीकी समिति और चिड़ियाघर डिजाइन पर विशेषज्ञ समूह इसके नियमित घटक हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इन समितियों के कार्यों को शासी निकाय यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा की जाती है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में सदस्य सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन एक अनिवार्य आवश्यकता है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की औपचारिक कार्य है। वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियों की एक झलक प्रदान करती है। इसे माननीय संसद सदस्यों के अवलोकन के लिए और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रखा जाता है। इसे चिड़ियाघरों में भी प्रसारित किया जाता है और आम जनता के लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में रखा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतियों से भरा था, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस अभूतपूर्व स्थिति को डिजिटल होने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्चुअल प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने वाले वेबिनार, तथा जागरूकता-कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की और चिड़ियाघरों को एहतियाती उपाय करने में मदद करने और जानवरों और उनके रखवाले दोनों में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए। कें.चि.प्रा. ने पारदर्शिता हासिल करने, संचालन में आसानी के लिए, कागज रहित कामकाज को बढ़ावा देने और आंकड़ों की बढ़ी हुई उपयोगिता के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, सभी हितधारकों के लाभ के लिए "चिड़ियाघर प्रबंधन सूचना प्रणाली (जू-एमआईएस)" नामक एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया। इसके अलावा, कें.चि.प्रा. ने तकनीकी मूल्यांकन (4), चिड़ियाघरों की मान्यताओं का नवीनीकरण (134), नए चिड़ियाघरों को मान्यता (4); नए चिड़ियाघरों की स्थापना के लिए मंजूरी(4) जैसे कार्य किये।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा को प्रशासनिक समिति और तकनीकी समिति की सिफारिशों पर कें.चि.प्रा. द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया।

मैं कें.चि.प्रा. के शासी निकाय और कें.चि.प्रा. की विभिन्न समितियों के विशेषज्ञ सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। मैं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में कें.चि.प्रा. में काम करने वाले प्रत्येक कर्मियों की प्रतिबद्धता और योगदान और सहायता की भी सराहना करता हूं।

**सह प्रकाश**  
डॉ. एस.पी. यादव

सदस्य सचिव

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
डॉ. एस. पी. यादव / Dr. S. P. Yadav  
सदस्य सचिव / Member Secretary  
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण / Central Zoo Authority  
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
Govt. of India, New Delhi

अवयव

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1
1.1	दृष्टि	1
1.2	लक्ष्य	1
1.3	उद्देश्य	1
1.4	कार्य	1
2	शासन	2
2.1	अधिशाली निकाय	3
2.2	प्रशासनिक समिति	4
2.3	तकनीकी समिति	5
2.4	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह	7
3	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पुनर्गठन	9
4	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य	9
4.1	चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन एवं मान्यता प्रदान करना	9
4.2	31.03.2021 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची	16
4.3	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	20
4.4	चिड़ियाघरों के मध्य केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वन्यजीवों का विनिमय/स्थानांतरण	22
4.4.1	भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्यजीवों का विनिमय	22
4.4.2	भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनिमय प्रस्ताव	26
4.4.3	बचाए गए वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने हेतु अनुमति	28
4.4.4	भारतीय चिड़ियाघरों से/अथवा को वन्यजीवों के स्थानांतरण का प्रस्ताव	29
4.5	वंशावली पुस्तक का रख-रखाव	30
4.6	चिड़ियाघरों की उन्नत योजना प्रक्रिया	30
4.6.1	मास्टर प्लान	30
4.6.2	मास्टर (ले-आउट) प्लान	31
4.7	अन्य	31
4.7.1	चिड़ियाघरों में क्षेत्रीय बायोबैंकिंग सुविधाओं की स्थापना	31
4.7.2	उपयोग प्रमाणक	32
4.8	वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की वार्षिक सूची का प्रकाशन	32
5	मानव संसाधन विकास	32
5.1	प्रशिक्षण/संगोष्ठी एवं कार्यशाला	32
5.2	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	36
6	अनुसंधान एवं शिक्षा	38
7	प्रकाशन	39
8	नीतिगत मामला	39
9	चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता	40
9.1	चिड़ियाघरों का सुधार	41
9.2	बचाव केन्द्रों को जारी अनुदान	42
10	वार्षिक लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	43
अनुलग्नक I: अनुसूचियों सहित वार्षिक लेखा-परीक्षा और वित्तीय विवरण		44
अनुलग्नक II: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अलग से प्राप्त लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन		76

1. प्रस्तावना

भारतीय वन्यजीव मंडल ने देश में चिड़ियाघरों की स्थापना एवं रख-रखाव के लिए विस्तृत अध्ययन करने हेतु 18 नवंबर, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित अपने नौवें सत्र में 'चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह' के रूप में अपने चिड़ियाघर खण्ड का पुनर्गठन किया। चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह ने अपना प्रतिवेदन जून, 1973 में प्रस्तुत किया जिसे मंडल द्वारा नवंबर, 1973 की बैठक में स्वीकार किया गया था। प्रतिवेदन में एक केंद्रीय अभिकरण (चिड़ियाघर अनुदान आयोग) स्थापित करने की अनुशंसा की गई, और इस अनुशंसा को लागू करने हेतु, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को वर्ष 1991 में एक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में एक पृथक अध्याय, धारा 38ए-38जे युक्त अध्याय IVए का समायोजन किया गया था। तदनुसार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में भारत में चिड़ियाघरों के कामकाज की निगरानी करने और उन्हें चिड़ियाघर में वन्यजीवों की देखभाल के मौजूदा मानकों को बढ़ाने के अलावा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु की गई।

1.1 दृष्टि

चिड़ियाघर में पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्राकृतिक बाड़ों में स्वस्थ वन्यजीव होंगे, जो सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारी, अच्छे शिक्षण एवं व्याख्यात्मक सुविधाओं, लोगों के समर्थन एवं स्व-दक्षता के साथ इन-सीटू एवं एक्स-सीटू संरक्षण में सहायक होंगे।

1.2 लक्ष्य

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का लक्ष्य प्रबंधन की उत्कृष्ट परंपरा के माध्यम से भारत में चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों के बेहतर रख-रखाव एवं चिकित्सा देख-रेख तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना और लोगों के बीच इस संबंध में शिक्षा एवं जागरूकता लाना है।

1.3 उद्देश्य

इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है:-

- भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों के रख-रखाव और स्वास्थ्य सेवा हेतु न्यूनतम मानकों और मानदण्डों को लागू करना और
- तेजी से बढ़ते अनियोजित एवं बदहाल चिड़ियाघरों को नियंत्रित करना।

1.4 कार्य

भारत में चिड़ियाघर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन विनियमित हैं तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 द्वारा मार्ग-निर्देशित हैं। भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 बनाया। इसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की सिफारिशों पर चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के रूप में संशोधित किया गया। इन नियमों से देश के चिड़ियाघर प्रबंधन के लिए मानक एवं मानदंड निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश में चिड़ियाघरों के कामकाज की निगरानी करता है तथा उनमें सुधार लाने हेतु तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38सी के तहत प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:-

- चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों के आवास, रख-रखाव एवं चिकित्सा देख-रेख के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना;
- निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार चिड़ियाघरों के कामकाज का मूल्यांकन एवं निर्धारण;

- (ग) चिड़ियाघरों को मान्यता देना या उनकी मान्यता रद्द करना;
- (घ) विलुप्त हो रही वन्यजीवों की प्रजातियों के कैप्टिव प्रजनन हेतु उनकी पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघर को ज़िम्मेदारी सौंपना;
- (ङ) प्रजनन के उद्देश्य से वन्यजीवों का अधिग्रहण, विनिमय एवं उधार देने में समन्वय स्थापित करना;
- (च) चिड़ियाघरों में प्रजनित वन्यजीवों की विलुप्त प्रजातियों की वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव सुनिश्चित करना;
- (छ) चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की पहचान करना;
- (ज) भारत एवं विदेश में चिड़ियाघर कर्मचारियों के प्रशिक्षण में समन्वय करना;
- (झ) चिड़ियाघरों के प्रयोजनों के लिए कैप्टिव प्रजनन एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुसंधान समन्वय करना;
- (ट) चिड़ियाघरों को उनके समुचित प्रबंधन एवं वैज्ञानिक दिशा में विकास हेतु तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करना;
- (ठ) ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना जो चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु आवश्यक हो।

## 2.0 शासन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्रतिष्ठान में सदस्य सचिव को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता हेतु वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक कर्मी शामिल हैं। वे नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त/कार्यरत हैं।

निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित आधार पर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कार्यरत हैं:-

क्र.	पद का नाम	पदधारी का नाम	वेतन बैंड/ वेतन (राशि ₹ में)
1.	सदस्य सचिव	डॉ. एस.पी. यादव	1,82,200-2,24,100 (वेतन स्तर -16)
2.	उप-वन महानिरीक्षक	डॉ. सोनाली घोष	1,44,200-2,18,800 (वेतन स्तर-14)
3.	वित्त अधिकारी	श्री आर. एस. रावत	56,100-1,67,800 (वेतन स्तर-10)
4.	निजी सचिव	प्रतिनियुक्ति पर (03.03.2019 से)	47,600-1,51,100 (वेतन स्तर -8)
5.	ऑकड़ा प्रसंस्करण सहायक	श्री विवेक गोयल	44,900-1,42,900 (वेतन स्तर-8)
6.	वैयक्तिक सहायक	श्रीमती नीति गुलाटी	44,900-1,42,900 (वेतन स्तर-8)
7.	लेखाकार	श्री सुरेश शर्मा	35,400-1,12,400 (वेतन स्तर -6)
8.	मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक	श्री टी.अजय कुमार	35,400-1,12,400 (वेतन स्तर -6)
9.	तकनीकी सहायक	श्रीमती नताशा एस. वशिष्ठ	29,200-92,300 (वेतन स्तर-5)
10.	स्टाफ कार चालक	श्री हरि सिंह भण्डारी	29,200-92,300 (वेतन स्तर-5)
11.	उच्च श्रेणी लिपिक	रिक्त	25,500-81,100 (वेतन स्तर-4)

12.	अवर श्रेणी लिपिक	श्री ठाकुर दास	21,700-69,100 (वेतन स्तर-3)
13.	बहु-कार्य कर्मचारी	श्री प्रमोद कुमार झा	21,700-69,100 (वेतन स्तर-3)
14.	बहु-कार्य कर्मचारी	श्री गोपाल स्वामी	19,900-63,200 (वेतन स्तर-2)

निम्नलिखित पदों पर आउटसोर्स के आधार पर नियुक्तियाँ की गई हैं:-

क्र. सं.	पद का नाम	कर्मियों की संख्या
1.	व्यवस्थापक सलाहकार (20.10.2020 तक)	एक
2.	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी	एक
3.	वैज्ञानिक अधिकारी	एक
4.	विधि अधिकारी	एक
5.	पशु-चिकित्सा सलाहकार	एक
6.	नीति सहायक	एक
7.	कार्यालय सहायक	एक
8.	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	एक
9.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता	एक
10.	बहु-कार्य कर्मचारी	एक
11.	उप महानिरीक्षक का निजी सचिव	एक
12.	संरक्षण संकल्पना प्रशिक्षु	एक
13.	सफाईकर्मी	एक

## 2.1 अधिशासी निकाय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ए के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, सदस्य जिनकी संख्या दस से अधिक न हो एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य सचिव होगा। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38बी के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य [सदस्य सचिव के अलावा] ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो तीन साल से अधिक न हो, जैसा कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ए के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्राधिकरण का पुनर्गठन राजपत्र अधिसूचना क्र. 1906, दिनांक 30 जून, 2020 [अधिसूचना एस.ओ. 2152(E), दिनांक 30 जून, 2020] के द्वारा तीन वर्ष हेतु जून, 2020 में किया गया। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिशासी निकाय में माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, पदेन अध्यक्ष सहित निम्नलिखित बारह सदस्य शामिल हैं:-

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | मंत्री<br>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,<br>भारत सरकार, नई दिल्ली                       | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव, भारत सरकार<br>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,<br>भारत सरकार, नई दिल्ली             | सदस्य   |
| 3. | वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव,<br>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,<br>भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य   |

4.	अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	निदेशक, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8.	निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री कार्तिकेयन वासुदेवन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, लेबोरेट्री फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्डेंजर्ड स्पीसीज, सेंटर फॉर सेल्युलर एवं मॉलीकुलर बायोलोजी, हैदराबाद, तेलंगाना	सदस्य
10.	श्री अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य
11.	श्री रविन्द्र कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (सेवानिवृत्त), रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37<sup>वीं</sup> बैठक 7 दिसम्बर, 2020 को हुई थी।

## 2.2 प्रशासनिक समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38-डी(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश संख्या 7-4/2017-के.चि.प्रा./1190/2017, दिनांक 30.06.2017 के अवरोध में, इस तरह के अवरोध से पहले किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध चीजों को छोड़कर, अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से एक उप-समूह नामतः केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति को निम्नलिखित संरचना के साथ प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों से निपटने के लिए

आदेश संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा.(डी)/2514/2020, दिनांक 15.07.2020 के तहत पुनर्गठित किया गया था:-

1. वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव,  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष (पदेन)
2. अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)  
एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण,  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली सदस्य (पदेन)
3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली सदस्य (पदेन)
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन) (प्रभारी, सामान्य प्रशासन),  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली सदस्य (पदेन)
5. सदस्य सचिव,  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,  
नई दिल्ली सदस्य संयोजक

प्रशासनिक समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वार्षिक बजट का अनुमोदन करना।
- (ख) धन का विनियोजन/पुनर्विनियोजन करना।
- (ग) नए पदों के सृजन और मौजूदा पदों की प्रोन्नति के संबंध में प्रस्तावों की जाँच एवं अनुमोदन करना।
- (घ) समूह 'ए' के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव।
- (च) सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर उपकरण आदि की खरीद पर व्यय करने का प्रस्ताव।

अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020 के अनुसार प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समान होगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति की 24<sup>वीं</sup> बैठक प्रशासनिक समिति के सदस्यों को कार्यसूची ऑनलाइन वितरण द्वारा 15 जुलाई, 2020 को और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति की 25<sup>वीं</sup> बैठक 26 अगस्त, 2020 को डॉ. संजय कुमार, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में कृष्णा हॉल, चतुर्थ तल, जल खण्ड, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग मार्ग, नई दिल्ली में हुई, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया गया।

### 2.3 तकनीकी समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38-डी(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश संख्या 7-4/2017-के.चि.प्रा./1191/2017, दिनांक 30.06.2017 के अवरोध में, इस तरह के अवरोध से पहले किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध चीजों को छोड़कर, अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति को निम्नलिखित संरचना के साथ तकनीकी मुद्दों से निपटने के लिए आदेश संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा. (डी)/2516/2020, दिनांक 15.07.2020 के तहत पुनर्गठित किया गया था:-

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)<br>एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण,<br>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,<br>भारत सरकार, नई दिल्ली | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,<br>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,<br>भारत सरकार, नई दिल्ली                              | सदस्य (पदेन)   |
| 3. | निदेशक,<br>भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,<br>बरेली, उत्तर प्रदेश  | सदस्य (पदेन)   |
| 4. | निदेशक,<br>भारतीय वन्यजीव संस्थान,<br>देहरादून, उत्तराखण्ड   | सदस्य (पदेन)   |
| 5. | निदेशक,<br>योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एस.पी.ए.),<br>नई दिल्ली   | सदस्य          |
| 6. | श्री आर. के. सिंह,<br>प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (सेवानिवृत्त),<br>रायपुर, छत्तीसगढ़                               | सदस्य          |
| 7. | श्री अभिलाष खांडेकर,<br>वरिष्ठ पत्रकार,<br>भोपाल, मध्य प्रदेश  | सदस्य          |
| 8. | सदस्य सचिव,<br>केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,<br>नई दिल्ली   | सदस्य संयोजक   |

तकनीकी समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) चिड़ियाघर के वन्यजीवों के आवास, रख-रखाव एवं स्वास्थ्य देख-रेख के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (ख) चिड़ियाघर को मान्यता देने या मान्यता ना देने तथा नए चिड़ियाघरों के सृजन के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (ग) वन्यजीवों की विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघर को उत्तरदायित्व सौंपने हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (घ) विदेशी चिड़ियाघरों के साथ वन्यजीवों का आदान-प्रदान, विदेशी चिड़ियाघरों से वन्यजीवों को उपहार

स्वरूप प्राप्त करना और विदेशी चिड़ियाघरों को वन्यजीवों का उपहार प्रदान करने के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिश करना;

- (ड.) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और अनुसूची II में निर्दिष्ट वन्यजीवों के अधिग्रहण या स्थानांतरण और वन्यजीवों के आदान-प्रदान हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना करना जो भारतीय चिड़ियाघरों के बीच समन्वित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का हिस्सा हों;
- (च) चिड़ियाघर के मास्टर प्लान और मास्टर (ले-आउट) प्लान के अनुमोदन के अलावा चिड़ियाघर के कैप्टिव वन्यजीवों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं, विषयों की पहचान में प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (छ) चिड़ियाघर प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और बैठक आयोजित करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण को सिफारिश करने के अलावा भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण के समन्वय में प्राधिकरण को सिफारिश करना;
- (ज) प्राधिकरण द्वारा अनुदान निधि प्रदान करने हेतु चिड़ियाघरों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (झ) चिड़ियाघर को उनके समुचित प्रबंधन एवं वैज्ञानिक दिशा में विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (ञ) विभिन्न चिड़ियाघरों एवं अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना; और
- (ट) कोई अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया हो।

अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020 के अनुसार तकनीकी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समान होगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 95<sup>वीं</sup> बैठक सदस्यों को कार्यसूची ऑनलाइन वितरण द्वारा 21 अप्रैल, 2020, 96<sup>वीं</sup> बैठक 30 जुलाई, 2020, 97<sup>वीं</sup> बैठक 28 सितंबर, 2020, 98<sup>वीं</sup> बैठक 19 नवम्बर, 2020, 99<sup>वीं</sup> बैठक 22 जनवरी 2021 एवं 100<sup>वीं</sup> बैठक 23 मार्च, 2021 को हुई जिसमें चिड़ियाघरों में सुधार, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, अनुसंधान और प्रशिक्षण और मास्टर प्लान के अनुमोदन के प्रस्ताव के अलावा अन्य नीति स्तर के मुद्दे थे।

## 2.4 चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह का पुनर्गठन माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार कार्यालय आदेश फाइल संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा.(डी)/2515/2020, दिनांक 15.07.2020 [और बाद में कार्यालय आदेश मि.सं. 7-2/2020-के.चि.प्रा.(खण्ड), दिनांक 11.06.2021 के माध्यम से सदस्यों में से {एक नीचे तालिका में 2 पर} को प्रतिस्थापन के रूप में शामिल करने के लिए] द्वारा निम्नलिखित संरचना और विचारणीय विषयों के साथ किया गया था:-

1.	प्रतिनिधि, सिविल निर्माण एकक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं. 728, 7 <sup>वीं</sup> तल,	आधिकारिक सदस्य (सिविल निर्माण पर विशेषज्ञ के रूप में संस्थागत सदस्य)
----	---	---

	पं दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003	
2.	डॉ. आरती ग्रोवर, सह-प्राध्यापक, परिदृश्य वास्तुकला विभाग, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली – 110 002	सदस्य (चिड़ियाघर संकल्पना एवं वास्तुकला विशेषज्ञ के रूप में संस्थागत सदस्य)
3.	प्रो. सय्यैद मोहम्मद अख्तर, अधिष्ठाता, वास्तुकला विशेषज्ञ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली – 110 025	अशासकीय सदस्य (व्यक्तिगत विशेषज्ञ सदस्य एवं शिक्षक)
4.	सुश्री मौलश्री जोशी, आर्किटेक्चर एण्ड फाउंडिंग पार्टनर स्पेस मैटर्स, दिल्ली	सदस्य (अंतःविषय अध्ययन और पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला पर व्यक्तिगत विशेषज्ञ)
5.	श्री पी.सी. त्यागी, भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (वन बल प्रमुख), तमिलनाडु	अशासकीय सदस्य (एक्स-सीटू संरक्षण अभ्यासी के रूप में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सदस्य)
6.	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सचिवालय का प्रतिनिधित्व करते आधिकारिक सदस्य
7.	वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	
8.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली	आधिकारिक संयोजक सदस्य

चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:-

- (क) विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मास्टर (ले-आउट) एवं मास्टर प्लान की जाँच करना, सुधार हेतु सुझाव देना, परिवर्तन और (तकनीकी समिति की) सिफारिश करना।
- (ख) विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित वन्यजीवों के बाड़ों के मानचित्रों की जाँच करना, सुधार हेतु सुझाव देना/ परिवर्तन करना और अनुमोदित/ अस्वीकृत करना।
- (ग) विभिन्न चिड़ियाघरों के लिए वन्यजीवों के बाड़ों के मानचित्रों के लिए मानक एवं मानदंड संबंधी सुझाव देना।

वर्ष 2020-21 के दौरान, चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की निम्नलिखित बैठकें भारतीय चिड़ियाघरों में बनने वाले लुप्तप्राय प्रजातियों के बाड़ों के मानचित्रों को अनुमोदन देने तथा चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन की अनुशंसा करने हेतु आयोजित की गई थीं:-

1. चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 93<sup>वीं</sup> बैठक – 15 मई, 2020
2. चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 94<sup>वीं</sup> बैठक – 27 जुलाई, 2020
3. चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 95<sup>वीं</sup> बैठक – 23 सितंबर, 2020
4. चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 96<sup>वीं</sup> बैठक – 5-6 जनवरी, 2021
5. चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 97<sup>वीं</sup> बैठक – 10-11 मार्च, 2021

### 3.0 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पुनर्गठन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कामकाज को और मजबूत करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सचिवालय में आउटसोर्स के आधार पर निम्नलिखित नियुक्तियाँ की गईं:-

1. व्यवस्थापक सलाहकार
2. पशु-चिकित्सा सलाहकार
3. नीति सहायक

### 4.0 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य

#### 4.1 चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन करना एवं मान्यता प्रदान करना

#### क. वर्ष 2020-21 के दौरान चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 4 चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मूल्यांकित विभिन्न श्रेणियों के चिड़ियाघरों की सूची निम्नलिखित है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1.	बिहार	राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालन्दा	डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	17 एवं 18 सितंबर, 2020
2.	छत्तीसगढ़	हाथी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र, पिंगला	श्री टी.अजय कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	28 एवं 29 जनवरी, 2021
3.	गुजरात	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर	डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	8 अगस्त, 2020
4.	उत्तर प्रदेश	शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान, गोरखपुर	डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	29 एवं 30 अक्टूबर, 2020

#### ख. वर्ष 2020-21 के दौरान मान्यता नवीकृत चिड़ियाघर

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान 134 चिड़ियाघरों की मान्यता नवीनीकरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया। इनमें से बड़े, मध्यम, छोटे एवं लघु श्रेणी के चिड़ियाघर एवं बचाव केंद्र क्रमशः 17, 20, 32, 53 एवं 12 थे।

बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम	19 अगस्त, 2023
2.		श्री वेंकटेशवर प्राणी उद्यान, तिरुपति	19 अगस्त, 2023
3.	असम	असम स्टेट जू एवं बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी	19 अगस्त, 2023
4.	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली	19 अगस्त, 2023
5.	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान, अहमदाबाद	19 अगस्त, 2023
6.		सक्करबाग प्राणी उद्यान, जूनागढ़	19 अगस्त, 2023
7.	कर्नाटक	बैंगलुरु बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु	19 अगस्त, 2023
8.		डॉ. केशिवरमा क्रान्थ पिलिकुला जैविक उद्यान, मैंगलुरु	19 अगस्त, 2021
9.		श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसुरु	19 अगस्त, 2021
10.	केरल	प्राणी उद्यान, तिरुवनंतपुरम्	19 अगस्त, 2023
11.	ओडिशा	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर	19 अगस्त, 2023
12.	पंजाब	एम. सी. प्राणी उद्यान, छतबीर	19 अगस्त, 2023
13.	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, चेन्नई	19 अगस्त, 2023
14.	तेलंगाना	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	19 अगस्त, 2023
15.	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	19 अगस्त, 2021
16.		नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	19 अगस्त, 2021
17.	पश्चिम बंगाल	प्राणी उद्यान, अलीपुर	19 अगस्त, 2023

मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	छत्तीसगढ़	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर	19 अगस्त, 2022
2.		मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई	19 अगस्त, 2021
3.		नंदनवन चिड़ियाघर एवं सफारी, नया रायपुर	19 अगस्त, 2022
4.	गुजरात	इंद्रोदा नेचर पार्क, गाँधी नगर	19 अगस्त, 2022
5.		श्री सयाजीबाग चिड़ियाघर, वडोदरा	19 अगस्त, 2022
6.		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत	19 अगस्त, 2021
7.		राजकोट नगरपालिका चिड़ियाघर, राजकोट	19 अगस्त, 2021
8.	झारखण्ड	जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो	19 अगस्त, 2022
9.		टाटा इस्पात प्राणी उद्यान, जमशेदपुर	19 अगस्त, 2022
10.		भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची	19 अगस्त, 2021
11.	केरल	स्टेट म्यूजिम एण्ड जू थ्रिशूर	19 अगस्त, 2021

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
12.	महाराष्ट्र	राजीव गाँधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र, पुणे	19 अगस्त, 2022
13.		वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं चिड़ियाघर, बाईकुला, मुंबई	19 अगस्त, 2022
14.	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान, इरोईसेंबा	19 अगस्त, 2022
15.	नागालैंड	नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	19 अगस्त, 2022
16.	राजस्थान	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	19 अगस्त, 2022
17.	तमिलनाडु	मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट – सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी, ममल्लापुरम्	19 अगस्त, 2022
18.	त्रिपुरा	सेपाहीजाला प्राणी उद्यान, सेपाहीजाला	19 अगस्त, 2021
19.	पश्चिम बंगाल	पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग	19 अगस्त, 2022
20.		जंगल महल प्राणी उद्यान, झारग्राम	19 अगस्त, 2022

### छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू	19 अगस्त, 2022
2.	अरुणाचल प्रदेश	जैविक उद्यान, ईटानगर	19 अगस्त, 2022
3.	गोवा	बोण्डला चिड़ियाघर, उसगाँव	19 अगस्त, 2021
4.	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक	19 अगस्त, 2021
5.	हिमाचल प्रदेश	धौलाधर नेचर पार्क, गोपालपुर	19 अगस्त, 2022
6.		हिमालयन नेचर पार्क, कुफरी	19 अगस्त, 2022
7.	कर्नाटक	टाईगर एण्ड लॉयन सफारी, शिवमोगा	19 अगस्त, 2022
8.		चिल्ड्रेन पार्क कम जू, गदग	19 अगस्त, 2021
9.	केरल	परास्सिनीकाडावु सर्प उद्यान एवं चिड़ियाघर, कन्नूर	19 अगस्त, 2021
10.	मध्य प्रदेश	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	19 अगस्त, 2022
11.		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर	19 अगस्त, 2022
12.		गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर	19 अगस्त, 2021
13.	महाराष्ट्र	निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, चिंचवाड	19 अगस्त, 2022
14.		संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, बोरीवली	19 अगस्त, 2021
15.	मेघालय	नेहरू उद्यान चिड़ियाघर, दानकग्रे, तुरा, अखोंगिनी तुरा	19 अगस्त, 2021
16.	मिजोरम	एजवाल प्राणी उद्यान, सकरटुईचुन	19 अगस्त, 2022
17.	ओडिशा	कपिलाश चिड़ियाघर, देवगाँव, जिला – धेनकनाल	19 अगस्त, 2021
18.		वन्यजीव संरक्षण केन्द्र, मोतीझारन, संबलपुर	19 अगस्त, 2021
19.		पटियाला चिड़ियाघर, पटियाला	19 अगस्त, 2022

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
20.	पंजाब	लघु चिड़ियाघर एवं हिरण सफारी, बीर तालाब, जिला भटिंडा	19 अगस्त, 2022
21.		लुधियाना चिड़ियाघर, लुधियाना	19 अगस्त, 2022
22.	राजस्थान	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर	19 अगस्त, 2022
23.		कोटा चिड़ियाघर, कोटा	19 अगस्त, 2022
24.		माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर	19 अगस्त, 2021
25.	सिक्किम	हिमालयी प्राणी उद्यान, बुलबुले, गंगटोक	19 अगस्त, 2022
26.	तमिलनाडु	अमृद्धि चिड़ियाघर, वेल्लोर	19 अगस्त, 2022
27.		कुरुम्बापट्टी प्राणी उद्यान, सलेम	19 अगस्त, 2022
28.		चेन्नई सर्प उद्यान, चेन्नई	19 अगस्त, 2022
29.	तेलंगाना	काकातीया प्राणी उद्यान, वारंगल	19 अगस्त, 2021
30.	उत्तराखण्ड	पण्डित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल	19 अगस्त, 2021
31.	पश्चिम बंगाल	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, कोलकाता	19 अगस्त, 2021
32.		बर्धमान प्राणी उद्यान, वर्दवान	19 अगस्त, 2021

### लघु श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	आंध्र प्रदेश	हिरण उद्यान, चित्तूर	19 अगस्त, 2021
2.		कंडालेरु हिरण उद्यान, कंडालेरु	19 अगस्त, 2021
3.	असम	बिजनी हिरण उद्यान, बोंगाईगाँव	19 अगस्त, 2021
4.	अरुणाचल प्रदेश	मियाओ लघु चिड़ियाघर, मियाओ	19 अगस्त, 2021
5.		लघु चिड़ियाघर, रोइंग	19 अगस्त, 2021
6.	दादरा और नगर हवेली	लॉयन सफारी-वसोना, वसोना	19 अगस्त, 2021
7.	दिल्ली	एन.एन. झा हिरण उद्यान, हौज खास	19 अगस्त, 2021
8.	गुजरात	सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर, अहमदाबाद	19 अगस्त, 2021
9.		अंबार्डी वाईल्डलाइफ इंटरप्रेटेशन ज़ोन (अंबार्डी सफारी पार्क), अमरेली	19 अगस्त, 2021
10.	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर पिपली, पिपली	19 अगस्त, 2021
11.		हिरण उद्यान, हिसार	19 अगस्त, 2021
12.		लघु चिड़ियाघर, भिवानी	19 अगस्त, 2021
13.	हिमाचल प्रदेश	सराहन फीजेन्ट्री, सराहन	19 अगस्त, 2021
14.		रेणुका लघु चिड़ियाघर, सिरमौर	19 अगस्त, 2021
15.		रेवालसर लघु चिड़ियाघर, मंडी	19 अगस्त, 2021
16.	झारखंड	बिरसा मृग विहार, कालामाटी, राँची	19 अगस्त, 2021
17.	कर्नाटक	इंदिरा प्रियदर्शिनी किरु मृगालय, अनागोडु	19 अगस्त, 2021
18.		अधुमल्लेश्वर लघु चिड़ियाघर एवं बलवाना, चित्रदुर्गा	19 अगस्त, 2021
19.		लघु चिड़ियाघर, गेंडेकट्टे, हसन	19 अगस्त, 2021

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
20.		हिरण उद्यान, एनएमडीसी, डोनीमलाई	19 अगस्त, 2021
21.		कित्तूर रानी चेन्नम्मा निसर्ग धाम, बेलगाम	19 अगस्त, 2021
22.		मिनी जू कम चिल्ड्रेन पार्क, कालाबुर्गी	19 अगस्त, 2021
23.		नमादाचिलुमे हिरण उद्यान, तुमकुर	19 अगस्त, 2021
24.		कैप्रिक्काड लघु चिड़ियाघर एवं बचाव केन्द्र, एरनाकुलम	19 अगस्त, 2021
25.	केरल	सर्प उद्यान, मलामपुझा	19 अगस्त, 2021
26.		लॉयन सफारी, नैय्यर डैम, तिरुवनंतपुरम्	19 अगस्त, 2021
27.	मध्य प्रदेश	महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाईगर सफारी एण्ड चिड़ियाघर, मुकुंदपुर	19 अगस्त, 2021
28.	महाराष्ट्र	महाराजा शाहाजी छत्रपति चिड़ियाघर, कोल्हापुर	19 अगस्त, 2021
29.	मेघालय	लेडी ह्याद्री पार्क कम मिनी जू शिलॉंग	19 अगस्त, 2021
30.	मिज़ोरम	हिरण उद्यान, थेंज़ावल	19 अगस्त, 2021
31.		घड़ियाल अनुसंधान एवं संरक्षण इकाई, तिकारपाडा	19 अगस्त, 2021
32.	ओडिशा	कुनेरिया हिरण उद्यान, नयागढ़	19 अगस्त, 2021
33.		तप्तापानी हिरण उद्यान, परलखेपमुंडी	19 अगस्त, 2021
34.		हरिशंकर हिरण उद्यान, बालांगिर	19 अगस्त, 2021
35.		हिरण उद्यान, पापाडाहांडी, नवरंगपुर	19 अगस्त, 2021
36.	पंजाब	हिरण उद्यान, नीलॉन	19 अगस्त, 2021
37.		करीमनगर हिरण उद्यान, करीमनगर	19 अगस्त, 2021
38.		किन्नरसानी डीयर पार्क, किन्नरसानी	19 अगस्त, 2021
39.	तेलंगाना	डीयर पार्क, जवाहर लेक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, शमीरपेट	19 अगस्त, 2021
40.		पिल्लालमारी डीयर पार्क, पिल्लालमारी कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर	19 अगस्त, 2021
41.		नवाबगंज हिरण उद्यान, उन्नाव	19 अगस्त, 2021
42.		सारनाथ हिरण उद्यान, वाराणसी	19 अगस्त, 2021
43.	उत्तर प्रदेश	वन प्राणी उद्यान, आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	19 अगस्त, 2021
44.		विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़ (गोरखपुर प्राणी उद्यान), गोरखपुर	19 अगस्त, 2021
45.		अल्मोड़ा लघु चिड़ियाघर	19 अगस्त, 2021
46.	उत्तराखंड	देहरादून लघु चिड़ियाघर	19 अगस्त, 2021
47.		हरिणालय हिरण उद्यान, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता	19 अगस्त, 2021
48.		गरचुमुक हिरण उद्यान, हावड़ा	19 अगस्त, 2021
49.	पश्चिम बंगाल	नार्थ बंगाल वाइल्ड एनीमल्स पार्क, सालुगारा	19 अगस्त, 2021
50.		सुरुलिया लघु चिड़ियाघर, पुरुलिया	19 अगस्त, 2021

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
51.		अदीना हिरण उद्यान, मालदा	19 अगस्त, 2021
52.		रसिकबील लघु चिड़ियाघर, कूचबिहार	19 अगस्त, 2021
53.		सुंदरबन वाईल्ड एनीमल पार्क, झारकली	19 अगस्त, 2021

#### बचाव केंद्र

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	अरुणाचल प्रदेश	भालू पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र (सीबीआरसी), सेईजोसा, पाक्के टाईगर रिजर्व	19 अगस्त, 2021
2.	असम	वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र, गोलाघाट	19 अगस्त, 2021
3.	हरियाणा	चौधरी सुरिंदर सिंह हाथी बचाव केन्द्र, बनसंतूर	19 अगस्त, 2021
4.		गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, पिंजौर	19 अगस्त, 2021
5.	हिमाचल प्रदेश	नेहरू फीजेन्ट्री, मनाली	19 अगस्त, 2022
6.	कर्नाटक	पीपुल फॉर एनीमल्स बचाव केन्द्र, बैंगलुरु	19 अगस्त, 2021
7.	महाराष्ट्र	आम्टेस् एनीमल आर्क बचाव केन्द्र, हेमलकासा	19 अगस्त, 2021
8.		मानिकदोह तेंदुआ बचाव केन्द्र, खामगाँव कॉलोनी, जुन्नार	19 अगस्त, 2021
9.		पीपुल फॉर एनीमल्स बचाव केन्द्र, वर्धा	19 अगस्त, 2021
10.		वन्यजीव बचाव केन्द्र, गोरेवाडा	19 अगस्त, 2021
11.	उत्तर प्रदेश	आगरा भालू बचाव सुविधा, आगरा	19 अगस्त, 2021
12.	पश्चिम बंगाल	साउथ खैरबारी रेस्क्यू सेंटर, मदारीहाट	19 अगस्त, 2021

#### ग. वर्ष 2020-21 के दौरान मान्यता प्राप्त नए चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता दिनांक	मान्यता की वैधता
1.	बिहार	राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालन्दा	18 दिसंबर, 2020	6 दिसंबर, 2022
2.	गुजरात	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर	17 अगस्त, 2020	16 अगस्त, 2023
3.	कर्नाटक	श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान, कमलापुर	23 दिसंबर, 2020	6 दिसंबर, 2022
4.	उत्तर प्रदेश	शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणी उद्यान, गोरखपुर	18 दिसंबर, 2020	6 दिसंबर, 2022

घ. वर्ष 2020-21 के दौरान स्थापित नए चिड़ियाघर

वर्ष 2020-21 के दौरान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-एच की उप-धारा (1-ए) के तहत निम्नलिखित चिड़ियाघरों की स्थापना के लिए पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई:-

- 22 जनवरी, 2021 को आयोजित तकनीकी समिति की 99<sup>वीं</sup> बैठक में तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने चिड़ियापुर बचाव और पुनर्वास केंद्र, हरिद्वार, उत्तराखंड की स्थापना के लिए 25 फरवरी, 2021 को निश्चित शर्तों के अनुपालन के अधीन पूर्व स्वीकृति प्रदान की।
- 22 जनवरी, 2021 को आयोजित तकनीकी समिति की 99<sup>वीं</sup> बैठक में तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एवियन एण्ड रेपटार्डल रिहैबिलिटेशन सेंटर, बेंगलुरु, कर्नाटक की स्थापना के लिए 1 मार्च, 2021 को निश्चित शर्तों के अनुपालन के अधीन पूर्व स्वीकृति प्रदान की।
- 22 जनवरी, 2021 को आयोजित तकनीकी समिति की 99<sup>वीं</sup> बैठक में तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने त्रिची जू, जिला - तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु की स्थापना के लिए 1 मार्च, 2021 को निश्चित शर्तों के अनुपालन के अधीन पूर्व स्वीकृति प्रदान की।
- 22 जनवरी, 2021 को आयोजित तकनीकी समिति की 99<sup>वीं</sup> बैठक में तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जम्बू जू, जम्मू और कश्मीर की स्थापना के लिए 15 फरवरी, 2021 को निश्चित शर्तों के अनुपालन के अधीन पूर्व स्वीकृति प्रदान की।

च. वर्ष 2020-21 के दौरान कारण बताओ नोटिस दिए गए चिड़ियाघरों की सूची

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारम्बार निर्देशों के बावजूद चिड़ियाघर के मान्यता नियम, 2009 के तहत निर्धारित मानक और मानदंडों के अनुसार काम नहीं करने वाले चिड़ियाघरों को उनके प्रदर्शन में प्रत्यक्ष सुधार लाने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है अन्यथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को चिड़ियाघर में रखे गए कैप्टिव वन्यजीवों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनकी मान्यता को रद्द/निलंबित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। निम्नलिखित 6 चिड़ियाघरों के चिड़ियाघर संचालक को कारण बताओ नोटिस दिया गया है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	कारण बताओ नोटिस की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	हिरण उद्यान, चित्तूर	लघु चिड़ियाघर	30 दिसंबर, 2020
2.	अरुणाचल प्रदेश	मियाओ लघु चिड़ियाघर	लघु चिड़ियाघर	29 दिसंबर, 2020
3.		लघु चिड़ियाघर, रोइंग	लघु चिड़ियाघर	1 मार्च, 2021
4.	छत्तीसगढ़	मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई	मध्यम चिड़ियाघर	25 जनवरी, 2021
5.	गुजरात	ग्रेट गोल्डन सर्कस	सर्कस	1 सितंबर, 2020
6.	ओडिशा	तप्तापानी हिरण उद्यान, जिला - गंजम	लघु चिड़ियाघर	27 मार्च, 2021

छ. वर्ष 2020-21 के दौरान मान्यता निरस्त चिड़ियाघर

ऐसे चिड़ियाघर जो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बार-बार दिशा-निर्देशों के बावजूद, चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के मानकों और मापदण्डों की अवहेलना कर संचालन कर रहे थे, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उनमें रखे वन्यजीवों के हित को ध्यान में रखते हुए, उन चिड़ियाघरों की मान्यता निरस्त कर दी है। ऐसे 3 चिड़ियाघर, जिनकी मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 में रद्द की है, निम्नलिखित हैं:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	निरस्तता की तिथि
1.	गुजरात	ग्रेट गोल्डन सर्कस	सर्कस	17 दिसंबर, 2020
2.	कर्नाटक	चिल्ड्रेन्स पार्क कम मिनी जू, बेल्लारी	लघु चिड़ियाघर	22 दिसंबर, 2020
3.	ओडिशा	नगर निगम हिरण उद्यान, कटक	लघु चिड़ियाघर	18 दिसंबर, 2020

#### 4.2 31 मार्च, 2021 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

भारत में चिड़ियाघरों को संचालन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच(1) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मान्यता की आवश्यकता होती है। देश में कोई भी चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व अनुमति एवं मान्यता के बिना स्थापित एवं संचालित नहीं किया जा सकता है।

देश में चिड़ियाघरों के वैज्ञानिक प्रबंधन और संचालन के लिए एवं भौतिक और मानव बुनियादी ढाँचे को नियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत मानक और मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, भारत में चिड़ियाघरों को चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 के तहत बड़े, मध्यम, छोटे एवं लघु श्रेणी के चिड़ियाघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिड़ियाघरों का यह वर्गीकरण चिड़ियाघरों के प्रबंधन और वन्यजीवों के आवास, रहन-सहन, पशु-चिकित्सा देख-रेख आदि को ध्यान में रखकर मानकों एवं मानदंडों को लागू करने के उद्देश्य के लिए किया गया है। चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 के मापदंडों के अनुसार (चिड़ियाघर का क्षेत्रफल, आगंतुकों की संख्या, वन्य प्राणियों एवं प्रजातियों की संख्या, विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या) चिड़ियाघरों का वर्गीकरण किया गया है। चिड़ियाघर को उल्लेखित श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के लिए उपरोक्त मानदंडों में से कम से कम चार मानदंडों (जिसमें कुल प्रजातियों की संख्या, कुल विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या तथा कुल वन्यजीवों की संख्या जिसमें विलुप्तप्राय वन्यजीवों की संख्या शामिल हों) को पूरा करना चाहिए।

31.03.2021 तक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच(1) के तहत देश में 150 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं। जिसमें 17 बड़े चिड़ियाघर, 24 मध्यम चिड़ियाघर, 33 छोटे चिड़ियाघर एवं 62 लघु चिड़ियाघर, जिसमें 14 बचाव केंद्र हैं।

देश में 150 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची उनके वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	श्रेणी
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू	पोर्ट ब्लेयर	छोटा
2.	आंध्र प्रदेश	हिरण उद्यान, चित्तूर	चित्तूर (पूर्व) प्रभाग	लघु
3.		हिरण उद्यान, कंडालेरु	कंडालेरु	लघु
4.		इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान	विशाखापत्तनम	बड़ा
5.		करुणा वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र - रायलसीमा	जिला अनंतपुर	बचाव केन्द्र
6.		श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान	तिरुपति	बड़ा
7.	अरुणाचल प्रदेश	जैविक उद्यान, ईटानगर	ईटानगर	छोटा
8.		पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र	पाक्के	बचाव केन्द्र
9.		लघु चिड़ियाघर, मियाओ	मियाओ	लघु
10.		लघु चिड़ियाघर, रोइंग	रोइंग	लघु
11.	असम	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन	गुवाहटी	बड़ा
12.		बिजनी हिरण उद्यान	बोंगाईगाँव	लघु

13.		वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र	गोलाघाट	बचाव केन्द्र
14.		राजगीर चिड़ियाघर सफारी	नालन्दा	लघु
15.	बिहार	संजय गाँधी जैविक उद्यान	पटना	बड़ा
16.		कानन पेण्डारी चिड़ियाघर	बिलासपुर	मध्यम
17.		मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	मध्यम
18.	छत्तीसगढ़	नंदनवन जंगल सफारी (नया रायपुर)	नया रायपुर	मध्यम
19.	दादरा एण्ड नगर हवेली	लॉयन सफारी – वसोना	वसोना	लघु
20.		ए.एन.झा डीयर पार्क	हौज खास (नई दिल्ली)	लघु
21.	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	नई दिल्ली	बड़ा
22.	गोवा	बोण्डला चिड़ियाघर	उसगाँव	छोटा
23.		अंबार्डी वाईल्डलाइफ इंटरप्रेटेशन ज़ोन (अंबार्डी सफारी पार्क)	अमरेली	लघु
24.		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान	सूरत	मध्यम
25.		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर	जामनगर	लघु
26.		इंद्रोदा नेचर पार्क	गाँधी नगर	मध्यम
27.		कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	बड़ा
28.		राजकोट प्राणी उद्यान	राजकोट	मध्यम
29.	गुजरात	सक्करबाग प्राणी उद्यान	जूनागढ़	बड़ा
30.		सरदार पटेल प्राणी उद्यान	केवडिया	लघु
31.		सयाजी बाग चिड़ियाघर	वडोदरा	मध्यम
32.		सुंदरबन नेचर डिस्कवरी सेंटर	जोधपुर टेकरा (अहमदाबाद)	लघु
33.		चौधरी सुरिंदर सिंह हाथी बचाव केन्द्र	बनसंतूर	बचाव केन्द्र
34.		डीयर पार्क, हिसार	हिसार	लघु
35.		लघु चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी	लघु
36.	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर, पिपली	पिपली	लघु
37.		रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	छोटा
38.		गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र	पिंजौर	बचाव केन्द्र
39.		धौलाधर नेचर पार्क	गोपालपुर	छोटा
40.		हिमालयन नेचर पार्क	कुफरी	छोटा
41.	हिमाचल प्रदेश	नेहरू फीजेन्ट्री	मनाली	बचाव केन्द्र
42.		रेणुका लघु चिड़ियाघर	सिरमौर	लघु
43.		बचाव एवं पुनर्वास गृह	टूटीकांडी	बचाव केन्द्र
44.		रेवालसर लघु चिड़ियाघर	मंडी	लघु
45.		सराहन फीजेन्ट्री	सराहन	लघु
46.		भगवान बिरसा जैविक उद्यान	राँची	मध्यम
47.		बिरसा मृग विहार	कालामाटी	लघु
48.	झारखण्ड	जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान	बोकारो	मध्यम
49.		टाटा इस्पात प्राणी उद्यान	जमशेदपुर	मध्यम
50.		बनेरघट्टा जैविक उद्यान	बैंगलुरु	बड़ा
51.		चिल्ड्रेन पार्क कम जू (गदग जू)	गदग	छोटा
52.		डीयर पार्क, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	डोनीमलाई	लघु
53.		डॉ. के. शिवरामा क्रान्थ पिलिकुला जैविक उद्यान	मैंगलोर	बड़ा

54.		इंदिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय, अनागोडु	दावनग्रे तालुक	लघु
55.		कित्त्तूर रानी चेन्नम्मा निसर्ग धाम मिनी जू	बेलगाम	लघु
56.		मिनी जू ए.एम. गुडी बलवाना	चित्रदुर्गा	लघु
57.		मिनी जू ऐट गेंडेकट्टे	हसन	लघु
58.		मिनी जू कम चिल्ड्रेन पार्क	कालाबुर्गी	लघु
59.		नमादाचिलुमे हिरण उद्यान	तुमकूर	लघु
60.		पीपुल फॉर एनीमल्स – बचाव केन्द्र	बैंगलुरु	बचाव केन्द्र
61.	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान	मैसुरु	बड़ा
62.		टाईगर एण्ड लॉयन सफारी	शिमोगा	छोटा
63.		तुंगभद्रा डैम मिनी जू	बेल्लारी	लघु
64.		कैप्रिक्काड लघु चिड़ियाघर एवं बचाव केन्द्र	एरनाकुलम	लघु
65.		लॉयन सफारी पार्क ऐट नैय्यर डैम (नैय्यर लघु चिड़ियाघर)	तिरुवनंतपुरम्	लघु
66.	केरल	परासिसनीकाडावु सर्प उद्यान एवं चिड़ियाघर	कन्नूर	छोटा
67.		सर्प उद्यान, मालमपुञ्जा	मालमपुञ्जा	लघु
68.		स्टेट म्यूजियम एण्ड जू	थ्रिशूर	मध्यम
69.		तिरुवनंतपुरम् चिड़ियाघर	तिरुवनंतपुरम्	बड़ा
70.	मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	छोटा
71.		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर	मध्यम
72.		महाराजा मार्टंड सिंह जूदेव व्हाईट टाईगर सफारी एण्ड जू, मुकुन्दपुर	सतना	लघु
73.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल	छोटा
74.	महाराष्ट्र	आम्टेस एनीमल आर्क	गढ़चिरोली	बचाव केन्द्र
75.		औरंगाबाद नगरपालिका चिड़ियाघर	औरंगाबाद	छोटा
76.		गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर	नागपुर	लघु
77.		तेंदुआ बचाव केन्द्र	मानिकदोह	बचाव केन्द्र
78.		महाराजा शाहाजी छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर	लघु
79.		महाराजाबाग चिड़ियाघर	नागपुर	छोटा
80.		निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	चिंचवाड, पुने	छोटा
81.		पीपुल फॉर एनीमल्स, शेल्टर हाउस	वर्धा	बचाव केन्द्र
82.		राजीव गाँधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र	पुने	मध्यम
83.		गोरेवाड़ा बचाव केन्द्र	नागपुर	बचाव केन्द्र
84.		संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर	बोरीवली	छोटा
85.		वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं चिड़ियाघर	मुंबई	मध्यम
86.	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इरोईसैंबा	मध्यम
87.	मेघालय	लेडी ह्याद्री पार्क एनीमल लैंड (मेघालय चिड़ियाघर)	शिलांग	लघु
88.		नेहरू उद्यान चिड़ियाघर, दानकग्रे, तुरा	अखोंगिनी तुरा	छोटा
89.	मिज़ोरम	एजवाल चिड़ियाघर (मिज़ोरम चिड़ियाघर)	एजवाल	छोटा
90.		डीयर पार्क, थेंजावल	थेंजावल	लघु
91.	नागालैंड	नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	रंगापहाड़	मध्यम
92.		डीयर पार्क, पापाडाहांडी	नवरंगपुर	लघु
93.		घड़ियाल अनुसंधान एवं संरक्षण ईकाई	तिकरपारा	लघु
94.		हरिशंकर हिरण उद्यान	बालांगिर	लघु
95.		इंदिरा गाँधी उद्यान चिड़ियाघर	राउरकेला	छोटा
96.		कपिलाश चिड़ियाघर	धेनकानाल	छोटा

97.	ओडिशा	कुनेरिया हिरण उद्यान, नयागढ़ वन प्रभाग	नयागढ़	लघु
98.		नंदनकानन जैविक उद्यान	भुवनेश्वर	बड़ा
99.		तप्तापानी हिरण उद्यान	परलखेमुंडी	लघु
100.		वन्यजीव संरक्षण केन्द्र	मोतीझारन, संबलपुर	छोटा
101.		हिरण उद्यान, बीर मोती बाग (पटियाला चिड़ियाघर)	पटियाला	छोटा
102.	पंजाब	हिरण उद्यान, बीर तालाब	भटिंडा	लघु
103.		हिरण उद्यान, नीलॉन	लुधियाना	लघु
104.		लुधियाना चिड़ियाघर	लुधियाना	छोटा
105.		महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान	छतबीर, चंडीगढ़	बड़ा
106.		कोटा चिड़ियाघर	कोटा	छोटा
107.		माचिया जैविक उद्यान (जोधपुर चिड़ियाघर)	जोधपुर	छोटा
108.		नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर चिड़ियाघर)	जयपुर	मध्यम
109.	राजस्थान	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान (उदयपुर चिड़ियाघर)	उदयपुर	छोटा
110.	सिक्किम	हिमालयी प्राणी उद्यान, बुलबुले	गंगटोक	छोटा
111.		अमृद्धि चिड़ियाघर	वेल्लोर	छोटा
112.		अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान	वंडालुरु, चेन्नई	बड़ा
113.		चेन्नई सर्प उद्यान	गिंडी, चेन्नई	छोटा
114.		चिल्ड्रेन्स पार्क	गिंडी, चेन्नई	मध्यम
115.	तमिलनाडु	कुरुम्बापट्टी प्राणी उद्यान	सलेम	छोटा
116.		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी	महाबलीपुरम	मध्यम
117.		वी.ओ.सी. पार्क मिनी जू	कोयंबटूर	मध्यम
118.		हिरण उद्यान, केसोराम सीमेंट	बसंतनगर	लघु
119.		डीयर पार्क जवाहर लेक ट्रस्ट काम्प्लेक्स	शमीरपेट	लघु
120.		काकातीया प्राणी उद्यान (वनविज्ञान केंद्र)	वारांगल	छोटा
121.		करीमनगर हिरण उद्यान	करीमनगर	लघु
122.		किन्नरसानी हिरण उद्यान	किन्नरसानी	लघु
123.	तेलंगाना	नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद	बड़ा
124.		पिल्लालमारी हिरण उद्यान	पिल्लालमारी परिसर, महबूब नगर	लघु
125.	त्रिपुरा	सेपाहीजाला प्राणी उद्यान	सेपाहीजाला, अगरतला	मध्यम
126.		आगरा भालू बचाव सुविधा	आगरा	बचाव केन्द्र
127.		कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर	बड़ा
128.		लॉयन ब्रीडिंग सेंटर एण्ड मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा	इटावा	लघु
129.	उत्तर प्रदेश	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान	लखनऊ	बड़ा
130.		नवाबगंज हिरण उद्यान	उन्नाव	लघु
131.		सारनाथ हिरण उद्यान	वाराणसी	लघु
132.		शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान	गोरखपुर	लघु
133.		वन प्राणी उद्यान, आई.वी.आर.आई.	इज्जतनगर, बरेली	लघु
134.		विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़	गोरखपुर	लघु
135.		हिरण उद्यान, नारायण तिवारी देवल (अल्मोड़ा चिड़ियाघर)	अल्मोड़ा	लघु

136.	उत्तराखण्ड	देहरादून लघु चिड़ियाघर	देहरादून	लघु
137.		पण्डित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर	नैनीताल	छोटा
138.	पश्चिम बंगाल	अदीना हिरण उद्यान	मालदा	लघु
139.		अलीपुर प्राणी उद्यान	कोलकाता	मध्यम
140.		बर्धमान प्राणी उद्यान (रमनाबागान लघु चिड़ियाघर)	वर्दवान	छोटा
141.		गरचुमुक (उलुघटा) हिरण उद्यान	हावड़ा	लघु
142.		हरिनालय ऐट ईको पार्क (नेचर पार्क ऐट ताराटोला रोड)	कोलकाता	लघु
143.		जंगल महल प्राणी उद्यान	झारग्राम	मध्यम
144.		मार्बल पैलैस जू	कोलकाता	छोटा
145.		नार्थ बंगाल वाईल्ड एनीमल्स पार्क	जलपाईगुड़ी	लघु
146.		पदमजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान	दार्जिलिंग	मध्यम
147.		रसिकबील लघु चिड़ियाघर	कूचबेहार	लघु
148.		साउथ खैरबारी रेस्क्यू सेंटर	मदारीहाट	बचाव केन्द्र
149.		सुंदरबन वाईल्ड एनीमल पार्क, झारकली	जिला 24 परगना दक्षिण	लघु
150.		सुरुलिया लघु चिड़ियाघर, पुरुलिया	पुरुलिया	लघु

#### 4.3 संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नियोजित संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम के लिए 74 लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों की पहचान की है। इनमें 24 पक्षी, 46 स्तनधारी एवं 4 सरीसृप प्रजातियाँ हैं। इस उद्देश्य हेतु 42 चिड़ियाघरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 29 समन्वयक चिड़ियाघर हैं। पहले यह कल्पना की गई थी कि प्रत्येक चिन्हित प्रजाति के कम से कम 100 वन्यजीव जो आनुवंशिक, शारीरिक और व्यावाहारिक रूप से स्वस्थ हों उन्हें लाया जाया। वन्यजीवों को बीमा के रूप में रखने का लक्ष्य है (स्थानीय, क्षेत्रीय या वैश्विक प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और भविष्य की संरक्षण रणनीतियों के लिए विकल्पों को संरक्षित करने के लिए प्रजातियों की उचित एक्स-सीटू आबादी बनाए रखना) यदि प्रजातियों को वापस करने की योजना होती है। इन वन्यजीवों की स्थापना "प्रजाति संरक्षण के एक्स-सीटू प्रबंधन के उपयोग के लिए आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के दिशा-निर्देश (संस्करण 2.0)" का मुख्य रूप से अनुसरण करती है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सबसे पहले 2011 में "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश/मानक" भी प्रकाशित किए थे। इसके अनुसार, 25 प्रजातियों को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसमें 17 भयावह प्रजातियाँ (3 गंभीर संकटग्रस्त, 5 संकटग्रस्त एवं 9 अतिसंवेदनशील प्रजातियाँ हैं)। इस कार्यक्रम के आरंभ से अब तक निम्न मुख्य उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं:-

सात प्रजनन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित सात प्रजातियों में प्रत्येक प्रजाति के 50 से अधिक वन्यजीव के जन्म कराने में सफलता प्राप्त की है (सीमा: 264-56) जैसे:-

- क. इण्डियन चैवरोटैन (मॉसचियोलिया इण्डिका)
- ख. नॉर्दन पिग-टेल्ड मकॉक (मकाका लियोनिना)
- ग. लॉयन टेल्ड मकॉक (मकाका सिलेनसे)
- घ. व्हाईट रम्ड वल्चर (जिप्स बेंगालेंसिस)
- च. इण्डियन वल्चर (जिप्स इंडिकस)
- छ. चिर फीजैट (कैटर्स वलिची)
- ज. वेस्टर्न ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन मेलानोसीफालसे)
- झ. रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल (बटागुर कचुगा)

चार प्रजनन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप निम्नलिखित चार प्रजातियों में प्रत्येक प्रजाति के 30–35 वन्यजीव के जन्म में सफलता प्राप्त की है जैसे:-

- क. स्लेन्डर बिल्ड वल्चर (जिप्स टैन्युरोसट्रिस)
- ख. ग्रेटर वन हार्नड राइनो (राइनोसॉरस यूनिकार्नास)
- ग. वेस्टर्न हूलॉक गिबबन (हूलॉक हूलॉक)
- घ. फायरेस लीफ मंकी (ट्रैचिपिचेकस फायरेई)

इण्डियन चवरोटैन, चिर फीजैट, वेस्टर्न ट्रैगोपैन, व्हाइट रम्ड वल्चर की प्रजातियों ने कैप्टिविटी में बेहतर प्रदर्शन किया है। 140 से अधिक इण्डियन चवरोटैन को वन में छोड़ गया है। इसी प्रकार, वेस्टर्न ट्रैगोपैन एवं चिर फीजैट के पुनर्वासन के प्रयास हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। गंभीर संकटग्रस्त व्हाइट रम्ड वल्चर एवं संकटग्रस्त रेड पांडा के पुनर्वासन की भी योजना है।

पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, पश्चिम बंगाल {हिमालयी लाल पांडा (एलुरस फलगेंस एसएसपी. फलगेंस) के संरक्षण प्रजनन हेतु समन्वयक चिड़ियाघर} से एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चल रहा है जिसके भाग के रूप में ऑकलैंड चिड़ियाघर, न्यूजीलैंड और डेब्रेसेन चिड़ियाघर, हंगरी से चिड़ियाघरों को हिमालयी लाल पांडा (2.0) के अधिग्रहण की अनुमति दी गई है।

संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में पिछले पाँच वर्षों के प्रयासों के परिणामों को कुछ प्रजातियों के संबंध में सारणीबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है:-

#### इण्डियन चवरोटैन (मॉसचियोलिया इण्डिका)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2015–16	40	41	82	163
2016–17	80	61	81	222
2017–18	93	66	93	252
2018–19	111	108	27	246
2019–20	83	49	0	132
2020–21	79	30	27	136

#### लॉयन टेलड मकॉक (मकाका सिलेनस)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2015–16	24	22	9	55
2016–17	24	23	6	53
2017–18	20	22	7	49
2018–19	23	24	4	51
2019–20	12	17	10	39
2020–21	7	9	12	28

#### स्नो लेपर्ड (पैंथरा उनसिया)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2015–16	1	9	0	10
2016–17	3	9	0	12
2017–18	3	9	0	12

2018-19	4	8	0	12
2019-20	3	8	0	11
2020-21	3	8	0	11

रेड पांडा (एलुरस फुलगेंस फुलगेंस)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2015-16	14	9	3	26
2016-17	10	11	2	23
2017-18	8	11	5	24
2018-19	10	19	1	30
2019-20	11	18	2	31
2020-21	11	2	15	28

वेस्टर्न ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन मेलानोसीफालस)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2015-16	16	13	0	29
2016-17	16	11	0	27
2017-18	16	13	8	37
2018-19	20	20	0	40
2019-20	21	23	0	44
2020-21	21	22	6	49

चिर फीजेंट (कैटर्स वलिची)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2015-16	17	27	0	44
2016-17	18	26	0	44
2017-18	17	28	3	48
2018-19	16	25	4	45
2019-20	28	34	0	62
2020-21	30	36	8	74

4.4 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच वन्यजीवों का विनिमय/स्थानांतरण

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य विभिन्न प्रजाति के वन्यजीवों के कुल 45 विनिमय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। प्राधिकरण ने भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य 11 विनिमय प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है।

4.4.1 भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्यजीवों का विनिमय

भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य वन्यजीवों के 45 विनिमय प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनुमोदित किया गया है:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम
1.	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	जंगल महल प्राणी उद्यान, झारग्राम, पश्चिम बंगाल
	फिशिंग कैट	0:1:0
2.	जंगल महल प्राणी उद्यान, झारग्राम, पश्चिम बंगाल	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
	ग्रे वूल्फ	1:1:0
3.	पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	जंगल महल प्राणी उद्यान, झारग्राम, पश्चिम बंगाल
	कॉमन पाम सिवेट	2:1:0
4.	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	रसिकबील लघु चिड़ियाघर, कूचबेहार, पश्चिम बंगाल
	कॉमन पाम सिवेट	2:1:0
5.	पण्डित गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, उत्तराखण्ड	हिमालयी प्राणी उद्यान, गंगटोक, सिक्किम
	रेड पांडा	1:0:0
6.	नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़	डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात
	एशियाई शेर	1:1:0
7.	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद, तेलंगाना
	एशियाई शेर	0:1:0
	—	—
8.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, राजस्थान	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली
	स्ट्राइप्ड हाईना	1:1:0
	—	—
9.	एजवाल प्राणी उद्यान, एजवाल, मिज़ोरम	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर, ओडिशा
	एशियाई ब्लैक बीयर	1:1:0
	वाइल्ड डॉग	1:1:0
	एशियन ब्राउन टॉरटॉइज़	3:3:0
10.	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची, झारखण्ड	जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो, झारखण्ड
	सांबर	1:2:0
	नीलगाय	1:2:0
	साही	1:1:0
11.	डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात	श्री सयाजीबाग चिड़ियाघर, वडोदरा, गुजरात
	स्पॉटेड डीयर	3:9:0
	नीलगाय	1:0:0
12.	डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची, झारखण्ड
	दरियाई घोड़ा	0:1:0
13.	सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़, गुजरात	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर (जीजेडआरआरके), जामनगर, गुजरात
	तेंदुआ	0:0:35
14.	श्री चामरोजन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूरु, कर्नाटक	बनेरघड़ा प्राणी उद्यान, बनेरघड़ा, बैंगलुरु, कर्नाटक
	हमाद्रिस बबून	2:4:0

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम
15.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल, मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर, मध्य प्रदेश
	—	घड़ियाल 2:2:0
16.	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर, ओडिशा	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर, मध्य प्रदेश
	बंगाल टाईगर 0:1:0	शेर 0:2:0
	बंगाल टाईगर 1:0:0	घड़ियाल 2:1:0
	घड़ियाल 2:1:0	भेड़िया 2:1:0
	गोल्डन फीजैन्ट 2:2:0	लोमड़ी 0:1:0
	सिल्वर फीजैन्ट 2:2:0	—
17.	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी, असम	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली
	ग्रेटर वन हार्नड राइनोसेरस 0:1:0	ग्रेटर वन हार्नड राइनोसेरस 0:1:0
18.	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी, असम	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर (जीजेडआरआरके), जामनगर, गुजरात
	तेंदुआ 1:1:0	—
19.	राजीव गाँधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात
	बंगाल टाईगर 1:0:0	बंगाल टाईगर 0:1:0
20.	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी, असम	एज़वाल प्राणी उद्यान, मिज़ोरम
	रॉयल बंगाल टाईगर 1:1:0	हूलाक गिबबन 1:1:0
21.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर, ओडिशा
	भेड़िया 1:1:0	बाघ (एक नर सफेद बाघ एवं एक आरबीटी मादा) 1:1:0
	तेंदुआ 1:1:0	वाईल्ड बोअर 1:0:0
	घड़ियाल 2:0:0	जेब्रा फिच 15:15:0
	चिंकारा 2:0:0	जावा स्पैरो 7:7:0
22.	अभेदा जैविक उद्यान, कोटा, राजस्थान	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर, राजस्थान
	—	हाईब्रिड लॉयन 1:0:0
23.	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, चेन्नई, तमिलनाडु	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर, राजस्थान
	बंगाल टाईगर 0:1:0	लोमड़ी 1:1:0
	भेड़िया 1:1:0	ईमू 2:2:0
	—	सियार 1:1:0
24.	एज़वाल प्राणी उद्यान, एज़वाल, मिज़ोरम	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर, ओडिशा
	स्टम्प टेल्ड मकाँक 3:3:0	—
25.	श्री सयाजीबाग चिड़ियाघर, वडोदरा, गुजरात	टाटा ईस्पात प्राणी उद्यान, जमशेदपुर, झारखण्ड
	—	ब्लैक बक 5:5:0
	—	हॉग डीयर 2:7:0
26.	नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़	डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात
	एशियाई शेर 1:1:0	स्मूथ कोटेड ओटर 1:1:0
27.	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक
	ब्लैकबक 3:3:0	—
28.	नवाब वाज़िद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	शहीद अशफ़ाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
	स्वैम्प डीयर 2:2:0	—

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम		
	ब्लैक बक	4:3:0	—	—
	बार्किंग डीयर	3:3:0	—	—
	इण्डियन क्रैस्टेड पॉरक्यूपाईन	1:1:0	—	—
	बाघ	0:1:0	—	—
	तेंदुआ	0:1:0	—	—
	जंगल कैट	0:1:0	—	—
	एशियाँटिक गोल्डन जैकाल	1:1:0	—	—
	हॉग डीयर	1:1:0	—	—
	रोज़ी पेलिकन	2:2:0	—	—
	पेंटेड स्टॉक	1:1:0	—	—
	घड़ियाल	1:1:0	—	—
	रसेल वाईपर	0:0:2	—	—
	अजगर	1:1:0	—	—
29.	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, उत्तर प्रदेश		शहीद अशफ़ाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	
	बाघ	2:0:0	—	—
	तेंदुआ	3:1:0	—	—
	रीसस मर्कॉक	1:1:0	—	—
	मगर क्रोकोडाइल	0:0:10	—	—
	रैट स्नेक	2:0:0	—	—
	हॉग डीयर	0:2:0	—	—
	साही	1:1:0	—	—
30.	विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़, उत्तर प्रदेश		शहीद अशफ़ाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	
	हॉग डीयर	1:1:0	—	—
	पीफॉउल	1:3:0	—	—
	इण्डियन रॉक पाइथन	0:0:4	—	—
31.	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार		राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालन्दा, बिहार	
	तेंदुआ	1:1:0	—	—
	स्लॉथ बीयर	1:1:0	—	—
32.	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक		चिल्ड्रेन पार्क कम मिनी जू, गदग, कर्नाटक	
	हाईब्रिड लॉयन	2:0:0	—	—
33.	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी, असम		शहीद अशफ़ाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	
	वन हार्नड राइनोसॉरस	1:1:0	—	—
34.	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक		अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान, कर्नाटक	
	हाईब्रिड लॉयन	1:1:0	—	—
35.	सकरबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़, गुजरात (सरदार पटेल प्राणी उद्यान, केवडिया, गुजरात की तरफ से)		असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी, असम	
	एशियाई शेर	1:2:0	ब्लैक पैंथर	0:1:0
36.	इटावा सफारी उद्यान, इटावा, उत्तर प्रदेश		शहीद अशफ़ाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम
	शेर 1:1:0	—
37.	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, उत्तर प्रदेश	शहीद अशाफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
	लंगूर 1:1:0	—
38.	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडालुर, तमिलनाडु	डॉ. के. शिवरमा क्रान्थ पिलिकुला जैविक उद्यान, मैंगलुरु, कर्नाटक
	बंगाल टाईगर 0:1:0	वाईल्ड डॉग 2:2:0
	एशियाई शेर 1:0:0	बंगाल टाईगर 1:0:0
	ऑस्ट्रेलियाई च 0:1:0	चेकर्ड कीलबैक स्नेक 2:2:0
	—	व्हिटाकर्स बोआ 1:1:0
39.	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडालुर, तमिलनाडु	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश
	ऑस्ट्रेलियाई च 1:2:0	वाईल्ड डॉग 1:1:0
	भेड़िया 2:0:0	सियार 1:3:0
	रेटिकुलेटेड पाइथन 1:1:0	—
40.	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी, असम
	बंगाल टाईगर 1:0:0	हिमालयन ब्लैक बीयर 1:1:0
	—	लेपर्ड कैट 1:1:0
41.	शहीद अशाफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची, झारखण्ड
	—	स्लॉथ बीयर 1:1:0
42.	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात
	सफेद बाघ 1:1:0	स्मूथ कोटेड ओटर 1:1:0
	हॉग डीयर 2:2:0	तेंदुआ 1:1:0
	सिल्वर फीजैट 1:1:0	व्हाइट पीफॉउल 1:1:0
	सियार 1:1:0	स्पूनबिल 1:1:0
43.	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात	इंद्रोदा नेचर पार्क, गाँधीनगर, गुजरात
	बंगाल टाईगर 1:1:0	—
44.	कित्तूर रानी चेन्नम्मा लघु चिड़ियाघर, भुतारमनाहट्टी, बेलागवि, कर्नाटक	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु, कर्नाटक
	एशियाई शेर (हाइब्रिड) 2:1:0	—
45.	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद, तेलंगाना	श्री सयाजीबाग चिड़ियाघर, वडोदरा, गुजरात
	पिग टैल्ड मर्कॉक 1:0:0	सफेद बाघ 1:0:0
	गोल्डन फीजैट 1:1:0	चौसिंगा 1:1:0
	रेड नेकड फीजैट 1:1:0	व्हाइट पीफॉउल 1:2:0
	सन कोन्योर 2:2:0	रेड जंगल फॉउल 2:2:0

#### 4.4.2 भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनिमय प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य वन्यजीवों के अधिग्रहण/स्थानांतरण को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-आई के अनुसार निम्नलिखित 11 मंजूरी दी गई:-

क्र.	दाता चिड़ियाघर का नाम	प्राप्तकर्ता चिड़ियाघर का नाम	प्रजातियाँ	संख्या (नर:मादा: अज्ञातलिंगी)
1.	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, कर्नाटक	तोयाहाशी चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान, जापान	एशियन एलीफैन्ट	1:2:0
2.	सफारी वंडरलैंड, मलेशिया	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, कर्नाटक	बॉनीन औरेंगुटान	1:1:0
3.	जू टाईपिंग एण्ड नाईट सफारी, मलेशिया	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, कर्नाटक	चिंपांजी	1:0:0
4.	अलवेटर चिड़ियाघर, मंस्टर, जर्मनी	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, कर्नाटक	वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला	2:0:0
5.	सिंगापुर प्राणी उद्यान, सिंगापुर	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, कर्नाटक	बॉनीन औरेंगुटान	1:1:0
	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, कर्नाटक	सिंगापुर प्राणी उद्यान, सिंगापुर	जिराफ	2:0:0
6.	मद्रास क्रोकोडाईल बैंक ट्रस्ट, तमिलनाडु	फोनिक्स हरपेटोलॉजिकल सोसायटी, यूएसए	मगर	2:4:0
	मद्रास क्रोकोडाईल बैंक ट्रस्ट, तमिलनाडु	फोनिक्स हरपेटोलॉजिकल सोसायटी, यूएसए	घड़ियाल	3:3:0
	फोनिक्स हरपेटोलॉजिकल सोसायटी, यूएसए	मद्रास क्रोकोडाईल बैंक ट्रस्ट, तमिलनाडु	अमेरिकन क्रोकोडाईल	1:1:0
	फोनिक्स हरपेटोलॉजिकल सोसायटी, यूएसए	मद्रास क्रोकोडाईल बैंक ट्रस्ट, तमिलनाडु	अफ्रीकन ड्वार्फ क्राकोडाईल	1:1:0
7.	ऑकलैंड चिड़ियाघर, न्यूजीलैंड	पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, पश्चिम बंगाल	रेड पांडा	1:0:0
8.	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	बंगाल टाईगर	0:0:50
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	शेर	0:0:50
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	जगुआर	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	तेंदुआ	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	कौगर	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	अफ्रीकन चीताह	0:0:12
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	ओसीलॉट	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	मार्ग	0:0:10

	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	जगुआरुंडी	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	जायंट आंटईटर	0:0:8
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	आंटईटर स्पीसीज	0:0:8
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	मैक्सिकन हेयरी ड्वार्फ पॉरक्यूपाईन	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	ब्राउन बीयर	0:0:8
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	अमेरिकन ब्लैक बीयर	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	बॉबकैट	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	लिन्नाईयस टू टोड स्लॉथ	0:0:10
	फॉना डे चिड़ियाघर, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	अमेरिकन फ्लैमिंगो	0:0:50
9.	प्राणी उद्यान, रमत गन (सफारी), इजराईल	अधुमल्लेश्वर लघु चिड़ियाघर एवं बलवाना, कर्नाटक	ग्रान्ट्स जेब्रा	1:2:0
10.	अज्ञात	सरदार पटेल प्राणी उद्यान, केवडिया, गुजरात	जिराफ	0:1:0
	अज्ञात	सरदार पटेल प्राणी उद्यान, केवडिया, गुजरात	प्लेन्स जेब्रा	3:0:0
	अज्ञात	सरदार पटेल प्राणी उद्यान, केवडिया, गुजरात	जेम्सबॉक	3:1:0
	अज्ञात	सरदार पटेल प्राणी उद्यान, केवडिया, गुजरात	रेड नेकड वलाबी	2:2:0
11.	डेब्रेसन चिड़ियाघर, हंगरी	पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, पश्चिम बंगाल	रेड पांडा	0:1:0

#### 4.4.3 बचाए गए वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने की अनुमति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उपरोक्त वन्यजीव आदान-प्रदान प्रस्तावों के अतिरिक्त भारतीय चिड़ियाघरों द्वारा बचाए गए वन्यजीवों के अधिग्रहण से संबंधित निम्न प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है:-

1. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश को रेस्क्यूड स्लॉथ बीयर के अधिग्रहण हेतु इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है कि चिड़ियाघर के पास-आवास, रख-रखाव और स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएँ हों और जीव को ऑफ डिस्ट्रे एरिया में रखा जाना चाहिए।

2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रेस्क्यूड ब्लैक बक के स्थानांतरण हेतु वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश को इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है कि चिड़ियाघर के पास आवास, रख-रखाव और स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएँ हों और जीव को ऑफ डिस्प्ले एरिया में रखा जाना चाहिए।
3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वीरमाता जीजाबाई भोसले (वी.जे.बी.) उद्यान एवं चिड़ियाघर, मुंबई, महाराष्ट्र को जब्त ब्लैक एण्ड व्हाइट रफड लेमुर एण्ड डायमंड मंकी को रखने हेतु इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है कि चिड़ियाघर के पास आवास, रख-रखाव और स्वास्थ्य देख-रेख की सुविधाएँ हों और जीव को ऑफ डिस्प्ले एरिया में रखा जाना चाहिए।
4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा रेस्क्यूड बंगाल टाईगर (2:0) के अधिग्रहण को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया है कि इन वन्यजीवों को ऑफ डिस्प्ले एरिया में रखा जाना चाहिए और निर्धारित आवास, रख-रखाव और स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएँ होनी चाहिए।
5. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश को जब्त अफ्रीकन स्पर्ड टॉरटाईज (0:0:5) के अधिग्रहण को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन हो सकता है और अदालत का फैसला अलग हो सकता है। इन वन्यजीवों को ऑफ डिस्प्ले एरिया में रखा जाना और निर्धारित आवास, रख-रखाव और स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएँ होना भी अधिग्रहण की शर्त है।
6. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने तेंदुआ (0:0:48) के ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन किंगडम (ए सेटलाइट फॅसिलिटी), जामनगर, गुजरात में ऑफ डिस्प्ले एरिया में लंबी अवधि की देखरेख हेतु स्थानांतरण को अनुमोदित किया है।
7. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, मध्य प्रदेश से रेस्क्यू किए गए बंगाल टाईगर (1:1) का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा अधिग्रहण अनुमोदित किया है और चिड़ियाघरों में रेस्क्यूड वन्यजीवों को रखने एवं प्रबंधन हेतु नीति दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्तर पर एक समिति गठित की है।
8. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कमला नहेरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर, मध्य प्रदेश से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा बचाए गए तेंदुए (1:0:0) के अधिग्रहण को वन्यजीव को ऑफ डिस्प्ले रेस्क्यू फॅसिलिटी में रखने की शर्त के साथ अनुमोदित किया है।
9. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालन्दा, बिहार द्वारा संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार से वाईल्ड ओरिजिन तेंदुआ (1:1:0) एवं स्लॉथ बीयर (1:1:0) के अधिग्रहण को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38(आई) के अंतर्गत अनुमोदित किया है।
10. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सीसीएमबी-लैकोन्स द्वारा चिड़ियाघरों से 12 तेंदुओं के अधिग्रहण एवं स्थानांतरण को निम्न विवरण के अनुसार कार्यान्वयन अनुमोदित किया है-

क्र.	स्रोत चिड़ियाघर	तेंदुओं की संख्या (नर : मादा : अज्ञातलिंगी)
1.	नेहरु प्राणी उद्यान, हैदराबाद	7 (3:4:0)
2.	श्री वैकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति	2 (1:1:0)
3.	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश	3 (2:1:0)
<b>कुल</b>		<b>12 (6:6:0)</b>

#### 4.4.4 भारतीय चिड़ियाघरों से/अथवा को वन्यजीवों का स्थानांतरण प्रस्ताव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उपरोक्त वन्यजीव आदान-प्रदान प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्न भारतीय चिड़ियाघरों से/अथवा को जानवरों के स्थानांतरण प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है:-

1. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने टाईगर एण्ड लॉयन सफारी, शिमोगा, कर्नाटक से आधिक्य स्पॉटड डीयर (15:25:0) एवं सांबर (3:10:0) को छोड़ने के प्रस्ताव को अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ दिया है कि प्राधिकरण संरक्षित क्षेत्र के अलावा वन आवास में वैकल्पिक उपयुक्त स्थल का चयन करें। वहाँ पर भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अनुमति के अधीन

- वन्यजीव को सख्ती से आईयूसीएन (वन में स्थानांतरित करने और छोड़ने से पहले वन्यजीवों के लिए संगरोध और स्वास्थ्य जाँच प्रोटोकॉल) और सीजेडए प्रोटोकॉल के अनुसार छोड़ा जाना चाहिए।
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमाँझी, राँची, झारखण्ड से आधिक्य स्पॉटड डीयर (40:120:0) एवं सांबर (4:8:0) को छोड़ने के प्रस्ताव को अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ दिया है कि प्राधिकरण संरक्षित क्षेत्र के अलावा वन आवास में वैकल्पिक उपयुक्त स्थल का चयन करें। वहाँ पर भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अनुमति के अधीन वन्यजीव को सख्ती से आईयूसीएन (वन में स्थानांतरित करने और छोड़ने से पहले वन्यजीवों के लिए संगरोध और स्वास्थ्य जाँच प्रोटोकॉल) और सीजेडए प्रोटोकॉल के अनुसार छोड़ा जाना चाहिए।
  3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राजीव गाँधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र, पुणे, महाराष्ट्र से आधिक्य 6 नर रीसस मर्कॉक को प्राकृतिक आवास में छोड़ने के प्रस्ताव को अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ दिया है कि प्राधिकरण संरक्षित क्षेत्र के अलावा वन आवास में वैकल्पिक उपयुक्त स्थल का चयन करें। वहाँ पर भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अनुमति के अधीन वन्यजीव को सख्ती से आईयूसीएन (वन में स्थानांतरित करने और छोड़ने से पहले वन्यजीवों के लिए संगरोध और स्वास्थ्य जाँच प्रोटोकॉल) और सीजेडए प्रोटोकॉल के अनुसार छोड़ा जाना चाहिए।
  4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने आधिक्य वन्यजीवों (2 प्रजातियाँ 47 वन्यजीव) अर्थात् ब्लैक बक (3:20:10) एवं सांबर (3:1:10) को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली से मुकुन्दरा हिल टाईगर रिजर्व, राजस्थान में स्थानांतरण हेतु कार्योत्तर अनुमोदन दिया है।
  5. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रीसस मर्कॉक (0:3:1) एवं कॉमन लंगूर (0:1:1) को बचाव केन्द्र, गोरेवाड़ा, नागपुर, महाराष्ट्र से प्राकृतिक आवास में छोड़ना सीजेडए एवं आईयूसीएन दिशा-निर्देशों के अनुसरण की शर्त के साथ अनुमोदित किया है।

#### 4.5 वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-सी के तहत सौंपे गए कार्यों में से एक को पूरा करने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों की राष्ट्रीय स्टडबुक को अद्यतन करने की पहल की है। वर्तमान में, ऑकड़ा एकत्र करने के लिए संरक्षण प्रजनन के लिए पहचानी गई प्रजातियों हेतु भारतीय चिड़ियाघरों के साथ पत्राचार किया जा रहा है। इसके समानांतर, सचिवालय संबंधित प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय स्टडबुक रखवालों के साथ भी संपर्क कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्टडबुक में सटीक रूप से शामिल हो।

#### 4.6 चिड़ियाघरों की उन्नत योजना प्रक्रिया

चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 10.3(1) के प्रावधानों के अधीन, अपने दीर्घकालिक विकास के लिए देश के सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को अपने मास्टर प्लान तैयार करने हैं और यह चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। यह मास्टर प्लान आगामी बीस वर्षों के लिए तैयार किए जाते हैं जिसे आवश्यकतानुसार 10 वर्ष की अवधि के पश्चात फिर से संशोधित किया जा सकता है। यह प्रावधान वैज्ञानिक पद्धति पर चिड़ियाघर के नियोजित विकास के लिए किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघरों को मास्टर प्लान की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

##### 4.6.1 मास्टर प्लान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में निम्न 14 चिड़ियाघरों के मास्टर प्लान निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन अनुमोदित किए हैं:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम
1.	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश
2.	वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान चिड़ियाघर, महाराष्ट्र
3.	रेणुका लघु चिड़ियाघर, रेणुका, हिमाचल प्रदेश

क्र.	चिड़ियाघर का नाम
4.	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, उत्तर प्रदेश
5.	काकातीया प्राणी उद्यान, वारांगल, तेलंगाना
6.	देहरादून लघु चिड़ियाघर, देहरादून, उत्तराखण्ड
7.	चिड़ियाघर एवं हिरण सफारी, बीर तालाब, भटिंडा, पंजाब
8.	पीपली चिड़ियाघर, पीपली, हरियाणा
9.	अभेदा जैविक उद्यान, कोटा, राजस्थान
10.	हिरण उद्यान, हिसार, हरियाणा
11.	हिरण उद्यान, भिवानी, हरियाणा
12.	लॉयन ब्रीडिंग सेंटर एण्ड मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा, उत्तर प्रदेश
13.	परासिन्नीक्काडावु सर्प उद्यान एवं चिड़ियाघर, केरल
14.	कुरुम्बापट्टी प्राणी उद्यान, सलेम, तमिलनाडु

#### 4.6.2 मास्टर (ले-आउट) प्लान

मास्टर (ले-आउट) प्लान चिड़ियाघर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है जो चिड़ियाघर के विभिन्न बुनियादी ढाँचे व सुविधाओं को इंगित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 7 मास्टर (ले-आउट) प्लान को अनुमोदित किया है जिनमें नए चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान एवं निम्न चिड़ियाघरों के संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान सम्मिलित हैं:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान
1.	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
2.	साउथ खैरबारी लेपर्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर/लेपर्ड सफारी एण्ड मिनी जू, अलीपुरदौर, पश्चिम बंगाल
3.	लॉयन ब्रीडिंग सेंटर एण्ड मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा, उत्तर प्रदेश (संशोधित)
4.	तेंदुए हेतु सेटेलाईट रेस्क्यू सेंटर के साथ ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन किंगडम, जामनगर, गुजरात
5.	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु, कर्नाटक (संशोधित)
6.	सकरबाग प्राणी उद्यान, जूनागढ़, गुजरात (संशोधित)
7.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान, कमलापुर, बेल्लारी, कर्नाटक (संशोधित)

#### 4.7 अन्य

##### 4.7.1 चिड़ियाघरों में क्षेत्रीय बॉयोबैंकिंग सुविधाओं की स्थापना

23 मार्च, 2021 को आयोजित तकनीकी समिति की 100<sup>वीं</sup> बैठक की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित चिड़ियाघरों में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत क्षेत्रीय बॉयोबैंकिंग सुविधाओं की स्थापना की गतिविधि के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी:-

1. पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
2. नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद, तेलंगाना
3. बनेरघट्टा प्राणी उद्यान, बैंगलुरु, कर्नाटक
4. सकरबाग प्राणी उद्यान, जूनागढ़, गुजरात
5. सेपाहीजाला प्राणी उद्यान, अगरतला, त्रिपुरा
6. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली

#### 4.7.2 उपयोगिता प्रमाणक

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण किसी भी लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के निपटान का प्रयास जारी रखता है और चालू वित्तीय वर्ष तक रुपये 2.56 लाख के एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र जोकि बाद में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जम्मू और कश्मीर से लिया जाएगा को छोड़कर सभी का निस्तारण किया है।

#### 4.8 वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की वार्षिक सूची का प्रकाशन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-सी के तहत सौंपे गए कार्यों के प्रदर्शन में पारदर्शिता, बेहतर पहुँच, संचालन में आसानी, कागज रहित कामकाज को बढ़ावा देने और आँकड़ों की उपयोगिता को बढ़ाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सभी हितधारकों के लाभ के लिए एक वेब एप्लिकेशन शीर्षक "चिड़ियाघर प्रबंधन सूचना प्रणाली (चिड़ियाघर – एमआईएस)" विकसित किया है। इस उद्देश्य हेतु, देश के सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के लिए एक सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत नियम 11 के अनुसार वन्यजीवों की वार्षिक और त्रैमासिक सूची में प्रविष्टि और ऑनलाइन जमा करने के लिए अद्वितीय खाते बनाए गए हैं। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया था।

कोविड-19 के कारण प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप और डिजिटल सबमिशन में कठिनाईयों को देखते हुए, चिड़ियाघरों द्वारा प्रविष्टि और प्रस्तुतियाँ अभी भी संकलित की जा रही हैं। समेकित सूची, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

#### 5. मानव संसाधन विकास

##### 5.1 प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं कार्यशाला

##### क. पशु चिकित्सा पेशेवरों हेतु वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण (23 से 25 फरवरी, 2021)

वन्यजीव संरक्षण अधिक से अधिक एक बहु-विषयक दल प्रयास बनता जा रहा है। पशु-चिकित्सक एक दल में अमूल्य हैं और पारस्परिक रूप से उन्हें सार्थक योगदान देने हेतु पारिस्थितिक और बुनियादी संरक्षण के मुद्दों की व्यापक समझ हासिल करने की आवश्यकता है। प्रभावी हस्तक्षेप प्रजातियों के ज्ञान और उनके जीव विज्ञान, तैयारी, अपेक्षित बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता और वन्यजीव स्वास्थ्य को एक जटिल और प्रौद्योगिकी संचालित विषय बनाने के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया के आधार पर एक ठोस दल प्रयास पर निर्भर है। इसके लिए फील्ड पशु चिकित्सा अधिकारियों को चलते रहने वाले सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस संबंध में 23 से 25 फरवरी तक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला की सामग्री पशुपालन (पशु चिकित्सा) विभाग/राज्य वन विभाग और चिड़ियाघरों के प्रतिभागियों के उद्देश्य से बनाई गई थी। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अपने समर्पित सिस्को वेबेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की। कार्यशाला में 27 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के फील्ड पशु चिकित्सा अधिकारियों से 101 नामांकन थे।

#### शामिल विषय

पशु चिकित्सा पेशेवरों हेतु वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण (23 से 25 फरवरी, 2021)	
23 फरवरी, 2021	
नाम	विषय
डॉ० एस. पी. यादव, सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	स्वागत भाषण
श्री सौमित्रा दासगुप्ता, अपर महानिदेशक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	विशेष भाषण
डॉ० देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी,	धन्यवाद प्रस्ताव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	
डॉ० सोनाली घोष, उप वन महानिरीक्षक (मुख्या.), केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	इन-सीटू एवं एक्स-सीटू संरक्षण और वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ाव
डॉ० धनंजय मोहन, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	भारत की जैव विविधता, इसके संरक्षण और चुनौतियों का परिचय
डॉ० अभिजीत पावडे, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	वन्यजीव संरक्षण में पशु चिकित्सा हस्तक्षेप
डॉ० नीरज खेड़ा, दलनायक – मानव वन्यजीव संघर्ष शमन परियोजना, जीआईजेड	मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने हेतु क्षमता निर्माण के लिए सहयोगी अवसर
डॉ० ए.के. शर्मा, भूतपूर्व विभाग प्रमुख, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, बरेली	वन्यजीव रोगों में हाल के रुझान
डॉ० कार्तिकेयन् वासुदेवन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, लेबोरेट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज (लैकोन्स)/सेंटर फॉर सेलुलर एण्ड मॉलीकुलर बायोलॉजी	अत्यधिक संक्रामक रोगों सहित वन्यजीव रोगों का निदान
डॉ० करीकलन एम., वैज्ञानिक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	वन्यजीवों के स्वास्थ्य देखभाल में उभरती हुई बीमारियाँ रैबीज, सीडीवी, बेबेसियोसिस, फेलिन वायरस, कोविड-19 आदि।
<b>24 फरवरी, 2021</b>	
डॉ० एनवीके अशरफ, निदेशक, वाईल्ड रेस्क्यू, वाईल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	बचाव और पुनर्वास के दौरान वन्यजीव कल्याण उपाय
डॉ० पराग निगम, वैज्ञानिक एफ, प्रमुख, वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान	वन्यजीवों के स्थिरीकरण और संयम में प्रगति
<b>वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन विचार-विमर्श- प्रतिभागियों को अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था</b>	
डॉ० कुशल कुंवर शर्मा, विभाग प्रमुख, पशु शल्य चिकित्सा एवं रेडियोलॉजी, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, खानापारा	बड़े शाकाहारियों – गैंडा, हाथी, जंगली भैंस, गौर का प्रबंधन
डॉ० जैकब एलेक्जेंडर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, प्राणी उद्यान, तिरुवनंतपुरम्	माँसाहारियों – बड़ी बिल्लियों, भेड़िया, भालू आदि का प्रबंधन
डॉ० गौरी मल्लापुर, पशु चिकित्सा सलाहकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	विदेशी वन्यजीवों एवं सरीसृपों का प्रबंधन
<b>25 फरवरी, 2021</b>	
डॉ० ए.बी. श्रीवास्तव, भूतपूर्व निदेशक, स्कूल ऑफ वाईल्डलाइफ फोरेंसिक्स एण्ड हेल्थ, नानाजी देशमुख वेटेरीनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर	वाईल्डलाइफ फोरेंसिक्स – नवीनतम विकास
डॉ० सिंदूरा गणपति, विजिटिंग पी.एस.ए. फेलो, भारत सरकार	वन्यजीव स्वास्थ्य पेशेवरों हेतु एक स्वस्थ दृष्टिकोण एवं भूमिका
डॉ. ए सहा अरुण, निदेशक- रिसर्च एण्ड वेटेरीनरी ऑपरेशन्स वाईल्डलाइफ एस.ओ.एस.	मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति से निपटना – तेंदुआ, बंदर, हाथी, भालू।
डॉ० पराग डेका, पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम	लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जैव सुरक्षा योजना
श्री प्रसेनजीत नवगिरे, साइट्स सेल, वाईल्डलाइफ डिविजन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	साइट्स एण्ड एनीमल्स इन कैप्टिविटी
श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	कैप्टिव वन्यजीवों हेतु वैज्ञानिक आँकड़ा प्रबंधन
श्री उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग	कैप्टिव स्वास्थ्य प्रबंधन के हिस्से के रूप में पशु कल्याण
विशेष भाषण:- सुश्री तिलोत्तमा वर्मा, अपर निदेशक, डब्ल्यूसीसीबी	वन्यजीव अपराध – कार्यवाही के लिए पुकार
विदाई भाषण	प्रतिक्रिया और प्रमाण-पत्रों का ऑनलाइन वितरण

तीन दिवसीय कार्यशाला का समापन डॉ० संजय कुमार, वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के विशेष भाषण से हुआ। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीतियों में पशु चिकित्सकों की प्रमुख भूमिका और मानव, वन्यजीव समुदायों और वन्यजीव स्थानों में और उसके आस-पास रहने वाले लोगों के बदलते जनसांख्यिकी में पशु चिकित्सकों के स्थान के बारे में बात की। उन्होंने संभावित इन रोड पशु चिकित्सा के बारे में भी बात की जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष रूप से मैरीन स्ट्रैंडिंग पॉलिसी के साथ बना सकते हैं।

ख. इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम् आंध्र प्रदेश में सरीसृपों के कैप्टिव प्रबंधन पर राष्ट्रीय चिड़ियाघर कीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम – 15 से 17 मार्च, 2021

कार्यशाला हाइब्रिड (ऑनलाइन और व्यक्तिगत) मोड में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में 41 चिड़ियाघरों के 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 4 चिड़ियाघरों के कीपर श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूरु, गदग चिड़ियाघर, श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति और इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम् (मेजबान) व्यक्तिगत रूप से कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में सरीसृपों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और सत्रों में वन्यजीवों को सुरक्षित और नैतिक तरीके से संभालने, जैविक विशेषताओं, ऊष्मायन के लिए अंडों का प्रबंधन और सुरक्षित रूप से संभालने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और पहचान के लिए वन्यजीवों को चिन्हित करना शामिल था। शिक्षण वीडियो प्रत्येक सत्र के लिए बनाए गए थे और चिड़ियाघर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ग. क्षेत्रीय चिड़ियाघर कीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कानन पेण्डारी उद्यान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के सहयोग से 9-12 फरवरी, 2021 हाइब्रिड मोड (व्यक्तिगत एवं वर्चुअल सह-भागिता) में पूर्वी क्षेत्रों के चिड़ियाघरों के लिए एक चिड़ियाघर कीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में चिड़ियाघर प्रबंधन, संरक्षण प्रजनन, स्वास्थ्य और पोषण, पशु संवर्धन, पशु व्यवहार, अभिलेख रखने आदि पर विभिन्न शिक्षण व्याख्यान और प्रतिभागियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षेत्र का दौरा शामिल थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से तीन राज्यों के 5 चिड़ियाघरों के 29 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।
2. इसी तरह, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कमला नेहरू प्राणी उद्यान, कंकरिया, अहमदाबाद, गुजरात के साथ मिलकर 14-18 फरवरी, 2021 तक हाइब्रिड मोड (व्यक्तिगत और वर्चुअल सह-भागिता) में पश्चिमी क्षेत्र के चिड़ियाघरों के लिए एक चिड़ियाघर कीपर प्रशिक्षण का आयोजन किया है। कार्यक्रम में चिड़ियाघर प्रबंधन, संरक्षण प्रजनन, स्वास्थ्य और पोषण, पशु संवर्धन, पशु व्यवहार, अभिलेख रखने आदि पर विभिन्न शिक्षण व्याख्यान और प्रतिभागियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षेत्र का दौरा शामिल थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से तीन राज्यों के 10 चिड़ियाघरों के कुल 30 प्रतिभागी (15 व्यक्तिगत रूप से और 15 वर्चुअल मोड के माध्यम से) लाभान्वित हुए।

घ. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति के सदस्यों ने गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, पिंजौर, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की दो दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, प्रचलित महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका और समय आने पर इसका आयोजन किया जाएगा।

च. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट विषयों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए वेबिनार की एक श्रेणी का आयोजन किया। कुल मिलाकर, निम्नलिखित आठ वेबिनार आयोजित किए गए और रिकॉर्डिंग को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के यूट्यूब चैनल पर जनता के लिए उपलब्ध कराया गया (<https://www.youtube.com/channel/UC9DQs7rLn34K5NdcFr0iBg>)।

1. वाजा के पशु कल्याण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय चिड़ियाघरों की भूमिका – जून, 2020

वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू और एक्वेरियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ० मार्टिन जॉर्डन ने वाजा के लक्ष्यों के बारे में बताया कि कैसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय चिड़ियाघर के सदस्य उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

2. एक्स-सीटू संरक्षण के माध्यम से गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को वापस लाना – गिद्धों की कहानी – 4 जुलाई, 2020

डॉ. क्रिस बाउडेन, कार्यक्रम प्रबंधक, सेव, रॉयल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, यू.के. एवं डॉ० विभु प्रकाश, प्रभारी, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, पिंजौर

वार्ता विश्व स्तर पर और पूरे एशिया में गिद्धों की संख्या में गिरावट के कारणों और क्यों एक्स-सीटू संरक्षण महत्वपूर्ण बना हुआ है पर केंद्रित थी।

3. बायोबैंकिंग – विलुप्त होने के जोखिम को कम करने के लिए अत्याधुनिक विज्ञान – 18 जुलाई, 2020

डॉ. ओलिवर ए.रायडर, क्लेबर्ग इंडोड, निदेशक, कंजर्वेशन जेनेटिक्स एट सैन डिएगो जू ग्लोबल एण्ड एडजक्ट प्रोफेसर ऑफ इवोल्यूशन, बिहेवियर, एण्ड ईकोलॉजी, डिविजन ऑफ बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया एवं डॉ० कार्तिकेयन् वासुदेवन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, लेबोरेट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेजर्ड स्पीसीज (लैकोन्स) सेंटर फॉर सेलुलर एण्ड मॉलीकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद।

इस वार्ता में एक्स-सीटू विज्ञान की उभरती सीमाओं जैसे सैन डिएगो चिड़ियाघर के जमे हुए चिड़ियाघर और प्रजातियों के संरक्षण में लैकोन्स सीसीएमबी में राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक की भूमिका पर जोर दिया गया।

4. चिड़ियाघरों में संरक्षण योजना – 4 अगस्त, 2020

डॉ. ओनी बायर्स, चेयर, कंजर्वेशन प्लानिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप, एसएससी, आईयूसीएन एवं सुश्री रूपाली राघवन, को-कनवीनर, सीपीएसजी साउथ-ईस्ट एशिया- वाईल्डलाइफ रिजर्व सिंगापुर

सत्र में सीपीएसजी द्वारा विकसित एक योजना दृष्टिकोण अवधारणा और कुछ सफलता की कहानियों पर जोर दिया गया और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे डब्ल्यूआरएस ने प्रजातियों को प्राथमिकता देने के लिए संरक्षण योजना का उपयोग किया है और साथ ही चिड़ियाघरों में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है।

5. एक्स-सीटू सुविधाओं के लिए संरक्षण संकल्पना – 16 अगस्त, 2020

मि. एरिक वैन वलियट, जू डिजायनर एवं डॉ. रोमेल मेहता, लैंडस्केप आर्किटेक्ट।

सत्र में बताया गया कि कैसे शिक्षा और प्रेरणा चिड़ियाघर के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय हैं और डिजाइन उपकरणों का एक अच्छी तरह से भरा हुआ बॉक्स इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण साधन है। चिड़ियाघर का डिजाइन वन्यजीवों की जरूरतों के अनुकूल एक सौंदर्य वातावरण बनाने की कोशिश करने से कहीं अधिक है। विसर्जन प्रदर्शन इसे संभव बनाते हैं और विश्वसनीय विसर्जन बजट की बात नहीं है। सीमित धन के साथ और एक गैर-विशेषज्ञ स्थानीय वास्तुकार के साथ, एक चिड़ियाघर विसर्जन बना सकता है।

## 6. पशु कल्याण के लिए संवर्धन – 29 अगस्त, 2020

मिस. जॉर्जिना ग्राव्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वाईल्ड वेलफेयर एवं सुश्री अवंती मल्लापुर, पीएचडी, क्यूरेटर ऐट मिक्क ग्राव्स जू, सैन जोयक्विन काउंटी, यू.एस.ए।

सत्र में इस बारे में जानकारी दी गई कि आधुनिक चिड़ियाघर के भीतर पशु कल्याण कितना नैतिक और आर्थिक रूप से अनिवार्य है। चिड़ियाघरों में वन्यजीवों को बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए और पर्यावरण और व्यवहारिक संवर्धन को हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली दिन-प्रतिदिन की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वार्ता इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि पशु-कल्याण का वास्तव में क्या अर्थ है और प्रजातियों का कितना प्रभावी संवर्धन होना चाहिए और भौतिक और सामाजिक आराम, पर्यावरण नियंत्रण और व्यवहार पसंद के तीन प्रमुख क्षेत्रों में वन्यजीवों की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य होना चाहिए।

## 7. चिड़ियाघरों में पशु चिकित्सा देखभाल के नए मोर्चे – 13 सितंबर, 2020

डॉ० पाओलो मार्टेली, चीफ वेटेरेनेरियन ऑफ हांगकांग ओसियन पार्क एवं डॉ० बुद्धन पुखाजेन्थी, रिसर्च साइकोलॉजिस्ट, स्मिथसोनियन कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट।

वार्ता में मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई जो पशु चिकित्सक चिड़ियाघरों में संग्रह वन्यजीवों की देखभाल करते समय पालन कर सकते हैं। अन्य उद्देश्यों में भी वन्यजीवों की देखभाल में चिड़ियाघर के कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करना और चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों की अगली पीढ़ी के प्रशिक्षण में साझा करना होगा।

## 8. एक्स-सीटू संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण के अवसर – 26 सितंबर, 2020

मि. जैमी, कंजर्वेशन प्लानिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप एवं डॉ० बितापी सिन्हा

वार्ता उन सिद्धांतों पर केंद्रित थी जो हमारा मानना है कि प्रभावी प्रजाति संरक्षण योजना को आधार बनाना चाहिए। और सीपीएसजी के माध्यम से संरक्षण संगठनों और उनके कर्मचारियों के लिए खुले कुछ प्रशिक्षण अवसरों का एक सिंहावलोकन भी प्रदान करते हैं।

## 5.2 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2019-20 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय चिड़ियाघरों के लिए एक विलक्षण और व्यापक 10 वर्षीय विजन प्लान 2021-2031 बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। इस दस्तावेज का उद्देश्य देश में चिड़ियाघर प्रबंधन प्रथमों के परिवर्तन के लिए एक रणनीति तैयार करना और वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए एक समग्र दृष्टि प्राप्त करने के लिए भारतीय चिड़ियाघरों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करना था।

दृष्टि योजना के एक भाग के रूप में, ज्ञान और अभ्यासों का आदान-प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघरों के साथ चुनिंदा भारतीय चिड़ियाघरों के बीच सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान की (एक सहयोगी चिड़ियाघर की अवधारणा के समान)। सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान की पहल के लिए सहमत दो चिड़ियाघरों के बीच प्रत्यक्ष सहकार्यता की कल्पना की गई थी। सहकार्यता चिड़ियाघर के कामकाज के 6 व्यापक क्षेत्रों से संबंधित थे:-

1. क्षमता निर्माण
2. संसाधन निर्माण
3. चिड़ियाघर डिजाइन एवं योजना
4. संरक्षण प्रजनन
5. स्थिरता
6. प्रौद्योगिकी सक्षमता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दृष्टिकोण से, यह संभावित अंतर्राष्ट्रीय सहकार्यता का पता लगाने और कामकाज में सर्वोत्तम प्रथाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कामकाज को मजबूत करने के लिए भारतीय चिड़ियाघरों को सशक्त बनाने के लिए एक परामर्श अभ्यास है।

1. सहयोगी चिड़ियाघर सहकार्यता का विवरण

क. प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणदु

#	चरण	समयसीमा*
	अवधारणा के संबंध में आधिकारिक पत्रों का मसौदा तैयार किया गया था और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सचिवालय द्वारा रुचि की पहचान करने के लिए 40 अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघरों को भेजा गया था।	अक्टूबर 2020 – जनवरी 2021
	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सचिवालय ने 16 अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघरों के साथ 16 आभासी बैठकें आयोजित की।  टिप्पणः— चरण 1 में भेजे गए आधिकारिक पत्रों के लिए केवल 16 अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघरों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।	नवम्बर, 2020 – जनवरी, 2021
	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के मध्य प्रथम बैठक  सहकार्यता का प्रस्ताव करते हुए संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई  क. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का अवलोकन एवं दृष्टि ख.सहयोगी चिड़ियाघर अवधारणा का अवलोकन ग. 6 फोकस क्षेत्रों पर आधारित सहकार्यता के क्षेत्र घ. सहकार्यता के लिए संभावित चिड़ियाघर च. प्रारंभिक प्रश्नों पर स्पष्टीकरण	नवम्बर, 2020 – जनवरी, 2021
	एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर ने सहकार्यता के लिए सहमति दे दी, तो अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के निदेशक एवं दल और भारतीय चिड़ियाघर के निदेशक और एवं के बीच दूसरी बैठक की योजना बनाई गई।	नवम्बर 2020 से फरवरी 2021
	द्वितीय बैठक – भारतीय चिड़ियाघर दल द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुति क. चिड़ियाघर की प्रमुख ताकत और यूएसपी ख. 6 फोकस क्षेत्रों पर आधारित सहकार्यता के क्षेत्र ग. संभावित सहकार्यता पर अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर और भारतीय चिड़ियाघर के बीच विचारों का आदान-प्रदान।	दिसंबर 2020 – फरवरी 2021

जब दोनों चिड़ियाघरों ने सहकार्यता हेतु सहमति व्यक्त की, तो एक मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार किया गया।	जनवरी 2020 – फरवरी 2021
समझौता ज्ञापन पर विदेश मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त की गई और चिड़ियाघरों के बीच आगे की प्रक्रिया शुरू की गई।	मार्च 2021 – जून 2021

- सहकार्यता के लिए चिड़ियाघरों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हुई थी (संदर्भ: MEA ID No. AA/Coord/551/01/21, दिनांक 7 जून, 2021)। यह चिड़ियाघरों को अलग-अलग राज्य की मंजूरी, यदि कोई हो, प्राप्त करने और अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष के साथ समझौता ज्ञापन के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।
- सहकार्यता का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:-

भारतीय चिड़ियाघर	अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर
असम स्टेट जू कम बॉटैनिकल गार्डन, गुवाहटी – असम	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका
अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, चेन्नई, तमिलनाडु	वेलिंगटन चिड़ियाघर, न्यूजीलैंड
भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, राँची, झारखण्ड	योकोहामा प्राणी उद्यान, जापान
इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश	पार्को नेचुरा वीवा, इटली
नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर, ओडिशा	टीयरपार्क बर्लिन, जर्मनी
नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	जू जिलन, चेक रिपब्लिक
महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान, छतबीर, पंजाब	डब्ल्यूआरएस सिंगापुर
नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद, तेलंगाना	चेस्टर जू, यू.के.
श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूरु, कर्नाटक	टोरंटो जू, कनाडा
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल, मध्य प्रदेश	जू ज्यूरिख, स्विटजरलैंड
पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	प्राग जू, चेक रिपब्लिक
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार	जू मियामी, यू.एस.ए.
नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़	दुबई सफारी पार्क, यू.ए.ई.
माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान	द लिविंग डेजर्ट जू एण्ड गार्डन्स, सीए, यू.एस.ए.
राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात	इंडियानापोलिस जू, यू.एस.ए.

## 6.0 अनुसंधान एवं शिक्षा

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं और आउटरीच गतिविधियों को मंजूरी दी है:-

- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्राप्त सफलता के आधार पर कार्यक्रम का विस्तार करने की सलाह के साथ अरिगनार अन्ना प्राणी कार्यक्रम, वंडालुर, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके “वंडालुर चिड़ियाघर – जवाहर नवोदय – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण राजदूत कार्यक्रम” नामक आउटरीच और क्षमता निर्माण पहल के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पर्यावरण, शिक्षा और जागरूकता विभाग, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी), दिल्ली के सहयोग से चिड़ियाघर कीपर के लिए “विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ एक प्रशिक्षण मैनुअल के विकास” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- 6.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने महामारी के बाद के चरण में आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में श्री चामराजेन्द्र प्राणी, उद्यान, मैसुरु, कर्नाटक के सहयोग से “प्राक्षिक वेबिनार की श्रेणी” आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि बिजली के साधनों का उपयोग करके वैज्ञानिक रुचि के विषय की चिड़ियाघर समुदाय तक पहुँच बनाई जा सके।
- 6.4 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 3 महीने की अवधि के लिए कम से कम 3 चिड़ियाघरों में 10 वर्षीय विज्ञान प्लान और पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 1 करोड़ के वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
- 6.5 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कैम्पा को सौंपी गई नगर वन परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- 6.6 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चेलोनियों के संरक्षण के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि अध्ययन के लिए संबंधित चिड़ियाघरों की पूर्व सहमति प्राप्त की जा सकती है और नोडल एजेंसी के रूप में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ स्थानीय वन विभाग, डब्ल्यूआईआई और टीएसए को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।
- 6.7 भारत का अमृत महोत्सव – भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर, अन्य हितधारकों और सामान्य जनता को शामिल करके विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से प्रकृति संरक्षण, विशेष रूप से वन्यजीवों के महत्व के संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए “भारत का अमृत महोत्सव – भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव” के उत्सव को मंजूरी दी।
- 6.8 जूटोपिया – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नीति आयोग – अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के सहयोग से एक राष्ट्रीय स्तर की डिजाइन प्रतियोगिता (जूटोपिया-2021) का आयोजन किया। प्रतियोगिता का संक्षिप्त विवरण एक भारतीय चिड़ियाघर में एक व्याख्या केन्द्र डिजाइन करना था।
- 6.9 डब्ल्यूएसएच (वाश) – वन और वन्यजीव क्षेत्रों में चिड़ियाघरों और पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों के लिए हैंडबुक।

## 7. प्रकाशन

चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्न प्रकाशन प्रकाशित किए:-

1. इकनोमिक वैल्यूशन ऑफ ईकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नई दिल्ली
2. एक्स-सीटू अपडेट्स – ए क्वार्टरली न्यूजलेटर ऑफ द सेन्ट्रल जू अथॉरिटी (वाल्यूम 1, इशू II, 2020)
3. एक्स-सीटू अपडेट्स – ए क्वार्टरली न्यूजलेटर ऑफ द सेन्ट्रल जू अथॉरिटी (वाल्यूम 1, इशू III, 2020)
4. एक्स-सीटू अपडेट्स – ए क्वार्टरली न्यूजलेटर ऑफ द सेन्ट्रल जू अथॉरिटी (डबल एडिसन – अक्टूबर 2020 से मार्च, 2021)
5. मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूशन प्रोसेस ऑफ इण्डियन जूज (एमईई-जू)
6. “भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की वार्षिक सूची 2020-21” का प्रकाशन संकलित किया जा रहा है।

## 8. नीतिगत मामला

भारत में चिड़ियाघरों की स्थापना और वैज्ञानिक प्रबंधन (2008) के दिशा-निर्देशों के आंशिक संशोधन परिपत्र 26-2/2008-सीजेडए(एम) दिनांक 25 अगस्त, 2008 के माध्यम से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित संशोधन लागू किए गए थे। भारत में चिड़ियाघरों की स्थापना और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए शेष दिशा-निर्देश (2008) अपरिवर्तित हैं।

- 8.1 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 4 नवम्बर 2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से देशी वन्यजीवों की प्रजातियों के आवास की समान अनुमेय सीमा को संशोधित कर 75 प्रतिशत और गैर-देशी (यानी विदेशी) को 25 प्रतिशत प्रजातियों की संरचना में संशोधित किया।
- 8.2 इसी तरह, भारतीय चिड़ियाघरों में विभिन्न मगरमच्छ प्रजातियों के भंडारण घनत्व पर दिशा-निर्देशों को दिनांक 22 दिसंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संशोधित किया गया था।
- 8.3 बचाव केन्द्रों में रीसस मकाँक और बोनट मकाँक के आवास के लिए दिशा-निर्देशों को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधित दिशा-निर्देश दीर्घावधि देखभाल के लिए उक्त प्रजातियों के आवास वाले चिड़ियाघरों के विशिष्ट बचाव केंद्रों और ऑफ डिस्प्ले क्षेत्रों पर लागू होंगे। मकाक की अन्य प्रजातियों के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मौजूदा दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे।
- 8.4 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के अधिकारों से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनिवार्य अनुपालन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिड़ियाघर विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए समान रूप से सुलभ हो।
- 8.5 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रु. 25,000/ (प्रत्येक श्रेणी में) (चिड़ियाघर प्रशासक, पशु चिकित्सक, जीवविज्ञानी और चिड़ियाघर कीपर के लिए 4 श्रेणियों के तहत) से वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय चिड़ियाघर मान्यता पुरस्कारों की स्थापना की है। इसमें आगे बताया जाता है कि नकद राशि को टोकन राशि के रूप में माना जा सकता है, और पुरस्कार के हिस्से के रूप में एक पट्टिका (चाँदी) के साथ मान्यता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा सकता है।
- 8.6 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित वन्यजीवों की मृत्यु दर (अनुसूची I और अनुसूची II का भाग II) की रिपोर्ट करने के संबंध में एडवाइजरी का संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर उपरोक्त अनुसूचियों में सूचीबद्ध प्रजातियों के चिड़ियाघरों से मृत्यु दर रिपोर्ट को ई-मेल के माध्यम से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्धारित पोस्टमार्टम प्रारूप के अनुसार मृत्यु का विवरण प्राप्त करने की सिफारिश की।
- 8.7 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर द्वारा बचाए गए वन्यजीवों के प्रवेश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया है।
- 8.8 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने समन्वयक और भाग लेने वाले चिड़ियाघरों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्त पोषण के पैटर्न में संशोधन को मंजूरी दी जो पहले केवल समन्वयक चिड़ियाघर के लिए थी। उक्त संशोधन का उद्देश्य है:-

- अ. नियोजित संरक्षण प्रजनन के लिए पहचानी गई प्रजातियों की "सेटलाइट आबादी" बनाने में समन्वयक चिड़ियाघरों को सर्वोत्कृष्ट समर्थन सुनिश्चित करना।
- ब. लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन के लिए चिड़ियाघरों की संख्या में वृद्धि की सुविधा देना।
- स. अंततः कैप्टिविटी में स्थायी आबादी को बनाए रखने के लिए भारतीय चिड़ियाघरों में प्रजातियों की वहन क्षमता में वृद्धि की सुविधा होना।
- द. समन्वयक/भाग लेने वाले चिड़ियाघरों के लिए वित्त पोषण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए एक जाँच और संबंधित चिड़ियाघरों द्वारा लक्षित प्रजातियों के पालन और प्रजनन की सफलता के मात्रात्मक मूल्यांकन पर आधारित होगा।

#### 8.9 चिड़ियाघर मान्यता/नवीनीकरण शुल्क में संशोधन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2 वर्ष के अंतराल के बाद समीक्षा के प्रावधान के साथ चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 4 में संशोधन करके चिड़ियाघर स्थापना, मान्यता और मान्यता शुल्क नवीनीकरण के संशोधन को मंजूरी दी। अगले वित्तीय वर्ष तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

### 9. चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में रु. 7,19,26,392/- प्राप्त किए हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में भी रु. 18,87,247/- और रु. 26,91,811/- क्रमशः की अव्ययित शेष राशि चिड़ियाघरों से प्राप्त की है, जोकि चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता के रूप में पूर्व में प्रदान किए गए थे। तदनुसार, रु.

18,87,247/- की अव्ययित शेष राशि को मंत्रालय द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुदान सहायता से समायोजित किया गया था, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए रु. 26,91,811/- का पुनर्वैधीकरण किया गया था। रु. 7,65,05,450/- (रु. 7,19,26,392/- + रु. 18,87,247/- + रु. 26,91,811/-) की इस कुल राशि में से, रु. 7,50,00,000/- चिड़ियाघरों के सुधार और विकास के लिए (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के चिड़ियाघर शामिल), संचालन लागत एवं स्थापना व्यय के लिए उपयोग किए गए थे। मंत्रालय द्वारा जारी पूरे अनुदान का उपयोग बड़े पैमाने पर चिड़ियाघरों के विकास, संरक्षण प्रजनन, बचाव एवं पुनर्वास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण और परिचालन लागत शीर्षक के अंतर्गत अपने उद्देश्यों एवं अधिदेश की प्राप्ति हेतु किया गया था।

### 9.1 चिड़ियाघरों का सुधार

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 4,65,76,142/- चिड़ियाघरों के सुधार हेतु जिसमें बचाव केंद्रों का रखरखाव, संरक्षण प्रजनन, अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि हेतु जारी किए।

क्र.	राज्य	नाम और चिड़ियाघर/संगठन का स्थान	उद्देश्य	राशि रु. में	
1.	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम्	बचाव एवं पुनर्वास	24,05,000	
				90,000	
			संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	10,25,000	
				प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	2,26,500
		श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	बचाव एवं पुनर्वास	24,00,000	
			बचाव एवं पुनर्वास	13,70,000	
संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	9,34,000				
2.	असम	असम जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहटी	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	3,93,000	
			संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	3,99,000	
3.	बिहार	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	चिड़ियाघर में सुधार	20,70,000	
4.	दिल्ली	“ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान”, दिल्ली	अनुसंधान	1,20,000	
			प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	1,27,440	
			प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	1,86,440	
		नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक	चिड़ियाघर में सुधार	50,04,441	
		नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक	चिड़ियाघर में सुधार	50,04,441	
		नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक	चिड़ियाघर में सुधार	34,40,880	
5.	कर्नाटक	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु, कर्नाटक	बचाव एवं पुनर्वास	6,14,000	
6.	मध्य प्रदेश	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल, मध्य प्रदेश	बचाव एवं पुनर्वास	10,15,000	
			बचाव एवं पुनर्वास	10,15,000	
7.	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान, इरोईसेंबा, इम्फाल	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	4,56,000	
			संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	4,56,000	
8.	मिज़ोरम	एज़वाल प्राणी उद्यान, मिज़ोरम	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	9,15,000	
			संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	9,15,000	
9.	नागालैंड	नागालैंड प्राणी उद्यान,	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	5,38,000	

		रंगापहाड़, दीमापुर, नागालैंड	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	9,43,000
10.	पंजाब	महेद्र चौधरी प्राणी उद्यान, छतबीर, पंजाब	चिड़ियाघर में सुधार	1,68,000
			चिड़ियाघर में सुधार	13,70,000
11.	राजस्थान	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	बचाव एवं पुनर्वास	2,39,000
			बचाव एवं पुनर्वास	2,39,000
12.	सिक्किम	हिमालयी प्राणी उद्यान, गंगटोक, सिक्किम	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	3,50,000
13.	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, चेन्नई	बचाव एवं पुनर्वास	24,68,000
			बचाव एवं पुनर्वास	5,30,000
			संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	8,43,000
			संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	8,43,000
		चेन्नई सर्प उद्यान, चेन्नई, तमिलनाडु	चिड़ियाघर में सुधार	7,80,000
14.	तेलंगाना	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद, तेलंगाना	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	45,000
			संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	12,68,000
		लेबोरेट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेजर्ड स्पीसीज़ (लैकौन्स), सीसीएमबी, हैदराबाद, तेलंगाना	अनुसंधान	19,05,000
15.	उत्तर प्रदेश	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	अनुसंधान	11,21,000
		कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	चिड़ियाघर में सुधार	7,09,000
		नवाब वाज़िद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	6,10,000
<b>कुल (₹)</b>				<b>4,65,76,142</b>

## 9.2 बचाव केंद्रों को जारी अनुदान

भारत सरकार ने 14 अक्टूबर, 1998 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से भारत में सर्कस में शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू एवं बंदर के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगाने का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति की भावना को ध्यान में रखते हुए इन वन्यजीवों हेतु अनुकूल रखरखाव, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को इन जीवों को बचाने और उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। उस समय सर्कस से बचाए गए शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू एवं बंदर की संख्या क्रमशः 375, 96, 21, 37 और 20 थी। इन बचाए गए वन्यजीवों के आवास और रखरखाव की आवश्यकताओं और देश के मौजूदा चिड़ियाघरों में ऐसी सुविधाओं की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश भर में इन जीवों हेतु अलग सुविधाएँ स्थापित करने का विचार किया गया था।

तदनुसार, भारत सरकार इन जीवों हेतु नामित बचाव सुविधाएँ बनाने के लिए सहमत हुई। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वर्ष 1999-2000 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बजट में अपेक्षित बजटीय आवंटन किया गया था। इन सुविधाओं के डिजाइन और बाड़ों को अंतिम रूप देने के बाद बेंगलोर, चेन्नई, तिरुपति, विशाखापत्तनम्, भोपाल, साउथ खैरबारी एवं जयपुर में इन जीवों हेतु सात बचाव केन्द्र बनाए गए। इन बचाव केंद्रों के दिन-प्रतिदिन के संचालन और रख-रखाव से संबंधित कार्य उस चिड़ियाघर को सौंपा गया है जिसके परिसर में ऐसी सुविधा स्थापित की गई है। यह इन वन्यजीवों हेतु जीवन भर देखभाल की सुविधा है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इन सात बचाव केंद्रों के संचालन और रख-रखाव के लिए संबंधित चिड़ियाघरों को लगातार वित्तीय अनुदान प्रदान कर रहा है। इन वन्यजीवों के चारे, पालन-पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस संबंध में निर्धारित मानकों और मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

वर्षों से इन बचाव केंद्रों की स्थापना के बाद, प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण वन्यजीवों की मृत्यु हो गई है और वर्तमान में सर्कस से बचाए गए शेरों और बाघों की संख्या क्रमशः 41 और 8 हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 6 बचाव केंद्रों के रख-रखाव, चारा और दवा आदि के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 1,23,85,000/- की राशि प्रदान की है:-

क्र.	नाम एवं बचाव केन्द्र का स्थान	राशि ₹ में
1.	इंदिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश	24,95,000
2.	श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	37,70,000
3.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल, मध्य प्रदेश	20,30,000
4.	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु, कर्नाटक	6,14,000
5.	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, चेन्नई, तमिलनाडु	29,98,000
6.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान	4,78,000
<b>कुल</b>		<b>1,23,85,000</b>

#### 10. वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वर्ष 2020-21 के खातों का लेखा परीक्षण प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वैज्ञानिक विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण के 31 मार्च, 2021 तक लेखा-खातों का तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाते, प्राप्ति व भुगतान खाते अनुसूचियों के साथ अनुलग्नक I व II में दिए गए हैं:-

अनुलग्नक-I

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 तक तुलन-पत्र की स्थिति

(राशि ₹ में)

कोष/पूंजी कोष और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कोष/पूंजी कोष	1	1,94,62,920	1,47,36,969
रक्षित एवं अधिशेष	2	—	—
निर्धारित/अक्षय निधि	3	—	—
सुरक्षित ऋण और उधारी	4	—	—
असुरक्षित ऋण और उधारी	5	—	—
आस्थगित ऋण देनदारियाँ	6	—	—
चालू देनदारियाँ और प्रावधान	7	28,75,028	38,69,076
<b>योग</b>		<b>2,23,37,948</b>	<b>1,86,06,045</b>
<b>सम्पत्तियां</b>			
अचल सम्पत्तियां	8	85,86,555	54,81,980
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	—	—
निवेश –अन्य	10	—	—
चालू सम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,37,51,393	1,31,24,065
विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
<b>कुल</b>		<b>2,23,37,948</b>	<b>1,86,06,045</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ	25		

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार समाप्त होने वाले  
वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्रियों/सेवाओं से प्राप्त आय	12		
अनुदान/सब्सिडी	13	7,65,05,450	7,91,86,361
शुल्क/अंशदान	14	7,15,002	5,10,000
निवेशों से आय (निर्धारित/अक्षय निधि निवेश पर आय)	15	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	4,81,505	12,000
अन्य आय	18	330	75,578
तैयार माल एवं प्रगतिगत कार्यों में वृद्धि/कमी	19	—	—
<b>कुल (क)</b>		<b>7,77,02,287</b>	<b>7,97,83,939</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	1,52,60,637	1,72,59,614
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,34,06,085	1,01,68,034
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	4,28,89,762	4,71,46,432
ब्याज	23	—	—
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग-अनुसूची 8)	8	15,72,681	12,42,178
<b>कुल (ख)</b>		<b>7,31,28,895</b>	<b>7,58,16,258</b>
व्यय के संबंध में अधिक आय (क-ख)		45,73,392	39,67,681
विशेष रक्षित निधि का स्थानांतरण (विवरण दें)		—	—
सामान्य रक्षित निधि को/से स्थानांतरण		—	—
अधिशेष को निधि/पूँजीगत निधि में लाया जा रहा है		45,73,392	39,67,681
घाटा होने के कारण शेष राशि को निधि/पूँजीगत निधि में लाया जा रहा है		—	—
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणी	25		

वित्तीय विवरण  
(गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
वर्ष/अवधि की समाप्ति (31.03.2021) पर प्राप्तियाँ एव भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>I. प्रारंभिक राशि</b>			<b>I. व्यय</b>	—	—
(क) हस्तगत रोकड़	—	—	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	1,40,17,152	1,69,34,184
(i) अग्रदाय	15,000	15,000			
(ख) बैंक शेष	—	—	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	93,50,093	54,83,119
(i) बचत खाता — स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में	1,22,37,207	1,35,13,835			
(ii) बचत खाता —यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में	—	—			
(iii) चालू खाते में	—	—			
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>			<b>II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान</b>		
(क) भारत सरकार से	7,19,26,392	7,80,00,000	(निधि अथवा परियोजना के नाम को प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई अदायियों के ब्यौरों के साथ दर्शाया जाना चाहिए)		
(ख) राज्य सरकार से	—	—			
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) — एस.ए.ए.आर. देशों के लिए	—	—	(क) चिड़ियाघरों को सहायता अनुदान	4,28,89,762	4,71,46,432
(पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	—	—	(ख) चिड़ियाघरों की निगरानी एवं मूल्यांकन	1,37,608	10,56,227
			(ग) अनुसंधान	31,46,000	23,91,044

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
			परियोजना		
			(घ) प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन	7,78,815	16,53,947
			(च) वाज़ा सम्मेलन पर खर्च		
			(छ) शिक्षा और जागरूकता		
			(ज) बंद चिड़ियाघरों को अनुग्रही अदायगी		
			(झ) वन्यजीवों का स्थानांतरण		
<b>III. निवेशों से आय</b>			<b>III. निवेश और जमा की गई राशि</b>		
(क) चिन्हित/अक्षय निधि			(क) चिन्हित/अक्षय निधि से भिन्न		
(ख) स्व निधियाँ (अन्य निवेश)			(ख) स्व निधियों से भिन्न (निवेश – अन्य)		
<b>IV. प्राप्त ब्याज</b>			<b>IV. अचल सम्पत्तियों एवं कार्यशील पूँजी पर व्यय</b>		
(क) बैंक जमा राशियों पर – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,09,203	3,90,918	(क) अचल सम्पत्तियों का क्रय	46,77,256	35,07,214
(ख) बैंक जमा राशियों पर –यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	96,075	–	(ख) कार्यशील पूँजी पर व्यय – अग्रिम भुगतान		
(ग) ऋण, अग्रिम आदि	94,500	12,000			
<b>V. अन्य आय विवरण</b>			<b>V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी</b>		
(क) मान्यता आवेदन सहित चिड़ियाघरों से प्राप्त शुल्क	5,85,002	5,10,000	(क) भारत सरकार को	6,020	42,57,660
(ख) आर.टी.आई. के अधीन आवेदन से प्राप्त शुल्क	330	4,078	(ख) राज्य सरकार को		
(ग) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क/वापसी योग्य व्यय	–	2,97,198	(ग) निधियों के अन्य प्रदायकों को		
<b>VI. उधार राशि</b>	–	–	<b>VI. वित्त प्रभार (ब्याज) – (बैंक</b>	4,86,943	13,63,478

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
			ब्याज वापसी)		
<b>VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ (ब्यौरा दें)</b>			<b>VII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)</b>		
(क) विविध प्राप्तियाँ	41,842	1,01,592	(क) टीडीएस का भुगतान	27,85,436	9,72,392
(ख) चिड़ियाघरों द्वारा लौटाया गया सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष	26,97,831	30,73,608	(ख) प्रतिभूति जमा (जारी)	—	—
(ग) कार/स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	—	—	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों द्वारा) — एनबीडब्ल्यूएल बैठक व्यय	—	—
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	—	—	(घ) कर्मचारी अग्रिम	15,000	—
(च) अग्रिमों की वसूली	5,05,128	65,927	(च) अन्य विभागों को भुगतान (वेतन बिलों से वसूली)	5,61,920	16,61,333
(छ) टीडीएस की वसूली	27,85,436	9,72,392	(छ) क्रय हेतु अग्रिम भुगतान	—	—
(ज) कर्मचारी अग्रिम वसूली	62,356	61,356	(ज) पीएम केयर फंड हेतु भुगतान	41,842	—
(झ) अनुज्ञप्ति शुल्क	—	—	(झ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नवीकरण हेतु भुगतान	—	—
(ट) अन्य विभागों द्वारा समायोज्य वेतन बिलों से वसूली	5,61,920	16,61,333	(ट) प्रीपेड खर्चों का भुगतान	—	—
(ठ) संपत्ति की बिक्री आय	—	—	(ठ) मान्यता के आवेदन के साथ चिड़ियाघरों से प्राप्त शुल्क की वापसी	—	—
(ड) अव्ययित जीआईए	—	—	(ड) आरटीआई के तहत आवेदन से प्राप्त शुल्क की वापसी	—	—
(ढ) छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान का प्रेषण	2,08,926	—			
(त) अन्य संगठनों की ओर से खर्चों की रसीद	—	—			
— वन्यजीव सप्ताह समारोह	—	—			
— वाजा हेतु	—	—			

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नामांकन शुल्क	—				
(थ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा खर्चों की प्रतिपूर्ति	—	—			
(द) प्रतिनियुक्त के सेवानिवृत्ति एवं सामान्य भविष्य निधि योगदान का प्रेषण	—	—	<b>VIII. अंतिम शेष</b>		
(ध) टेलिफोन सुरक्षा की वापसी	—	—	(क) हस्तगत रोकड़		
			अग्रदाय	15,000	15,000
			(ख) बैंक शेष	—	—
			(i) बचत खाता – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में	1,33,16,243	1,22,37,207
			(ii) बचत खाता – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में	2,058	—
			(iii) चालू खाते में	—	—
<b>कुल</b>	<b>9,22,27,148</b>	<b>9,86,79,237</b>	<b>कुल</b>	<b>9,22,27,148</b>	<b>9,86,79,237</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूँजी निधि

	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूँजी निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,47,36,969	1,21,32,766
जोड़ें: आधारभूत निधि/केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण निधि के संबंध में अंशदान	—	—
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित शुद्ध आय का शेष	45,73,392	39,67,681
घटाएँ: शुद्ध आय का शेष – आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित	—	—
जोड़ें: छोटे/अतिरिक्त प्रावधान/पूर्व अवधि मद	1,52,559	13,63,478
वर्ष के अंत में शेष	<b>1,94,62,920</b>	<b>1,47,36,969</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष

(राशि ₹ में)

अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. संपत्ति कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	–		–	
वर्ष के दौरान वृद्धि	–		–	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
2. पुनर्मूल्यांकन कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	–		–	
वर्ष के दौरान वृद्धि	–		–	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	
3. विशेष कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	–		–	
वर्ष के दौरान वृद्धि	–		–	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
4. सामान्य कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	–		–	
वर्ष के दौरान वृद्धि	–		–	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
<b>कुल</b>		–		–

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधि

(राशि ₹ में)

अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधि	निधिवार विच्छेद			कुल		
	निधि <b>ww</b>	निधि <b>xx</b>	निधि <b>yy</b>	निधि <b>zz</b>	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) निधि का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
ब) निधि के अलावा	-	-	-	-	-	-
क) दान	-	-	-	-	-	-
ख) निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य वृद्धियां (विवरण दें)	-	-	-	-	-	-
<b>कुल (अ+ब)</b>	-	-	-	-	-	-
स) निधियों का उद्देश्यों की दिशा में उपयोग व्यय						
क) पूंजीगत व्यय						
– अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	-	-	-	-
ख) राजस्व व्यय						
– वेतन मजदूरी और भत्ते	-	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
<b>कुल (स)</b>	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (अ+ब-स)	-	-	-	-	-	-

**टिप्पणियाँ:-**

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर, संबंधित मद का प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाए एवं दूसरी निधियों के साथ न मिलाया जाए।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि ₹ में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		—		—
2. राज्य सरकार		—		—
3. वित्तीय संस्था				
क) सावधि ऋण	—		—	
— अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
4. बैंक				
क) सावधि ऋण	—		—	
— अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
ख) अन्य ऋण (विवरण दें)	—		—	
— अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण		—		—
6. डिबेंचर और बॉण्ड		—		—
7. अन्य (विवरण दें)		—		—
योग		—		—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि ।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि ₹ में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार	—	—
3. वित्तीय संस्थान	—	—
4. बैंक	—	—
क) सावधि ऋण	—	—
ख) अन्य ऋण	—	—
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	—	—
6. डिबेचर एवं बॉण्ड	—	—
7. सावधि जमा	—	—
8. अन्य (विवरण दें)	—	—
<b>योग</b>	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देनदारियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देनदारियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपकरणों और अन्य सम्पत्तियों से बंधक स्वीकृतियाँ और	–	–
ख) अन्य –	–	–
योग	–	–

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अ. चालू देयताएँ</b>		
1. स्वीकृत बिल		
2. विविध लेनदार:	—	—
क) लाभ के लिए	—	—
ख) अन्य (वाजा हेतु खर्च)	—	1,47,000
3. अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं	—	—
क) सुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	—	—
ख) असुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	—	—
4. अन्य चालू देयताएं – S/B A/C से ब्याज प्राप्त	50	3,70,440
क) अव्ययित सहायता अनुदान	—	18,87,247
ख) वन्यजीव सप्ताह समारोह की बकाया राशि	—	5,559
ग) वापसी योग्य सुरक्षा राशि	1,55,000	1,55,000
<b>कुल (क)</b>	<b>1,55,050</b>	<b>25,65,246</b>
<b>ब. प्रावधान</b>		
1. कर-आदान हेतु	—	—
2. आनुतोषिक एवं समय-समय पर मिलने वाले अन्य लाभ	5,11,000	—
3. सेवा-निवृत्ति/पेंशन	—	—
क) सेवा-निवृत्ति योजना के लिए अंशदान	—	—
4. वाहन चलाने हेतु देय/अन्य प्रतिबद्ध व्यय	11,230	13,572
5. व्यापार वारंटी/दावे – देय सदस्यता शुल्क	—	—
6. अन्य (विवरण दें) – देय वेतन आदि	13,07,274	12,53,903
7. देय टेलीफोन व्यय	3,236	4,029
8. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	7,65,828	—
9. देय यात्रा भत्ता परिचालन	—	32,326
10. देय लेखा परीक्षा शुल्क	—	—
11. देय एलटीसी विशेष नकद पैकेज	1,19,760	—
12. देय अधि-समय भत्ता	1,650	—
<b>कुल (ब)</b>	<b>27,19,978</b>	<b>13,03,830</b>
<b>कुल (अ + ब)</b>	<b>28,75,028</b>	<b>38,69,076</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 8 – अचल सम्पत्तियाँ

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास					शुद्ध ब्लॉक		
	वर्ष के प्रारंभ में लागत / मूल्य (क)	वर्ष के दौरान में परिवर्धन (ख)		वर्ष के दौरान में कटौतियाँ (ग)	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य (घ)	मूल्यहास दर : (ङ)	वर्ष के शुरु में परिसम्पत्तियों पर (च)	वर्ष के दौरान में परिवर्धनों पर (छ)		वर्ष के दौरान में कटौतियों पर (ज)	वर्ष के अंत में कुल योग (झ)	चालू वर्ष के अंत में (घ-झ)	पिछले वर्ष के अंत तक
		04/20-09/20	10/20-03/21					04/20-09/20	10/20-03/21				
<b>मूर्त संपत्ति</b>													
कम्प्यूटर / कम्प्यूटर से जुड़ा	9,04,443	45,981	2,99,593		12,50,017	40	3,61,777	18,392	59,919	—	4,40,088	8,09,929	9,04,443
फर्नीचर, जुड़नार	13,04,605	—	10,05,565		23,10,170	10	1,30,461	—	50,278	—	1,80,739	21,29,431	13,04,605
कार्यालय उपकरण	10,67,756	—	3,37,975		14,05,731	15	1,60,163	—	25,348	—	1,85,511	12,20,220	10,67,756
वाहन	13,08,957	—	—	—	13,08,957	15एवं30	3,68,830	—	—	—	3,68,830	9,40,127	13,08,957
<b>अमूर्त संपत्ति</b>													
वेबसाइट विकास		14,21,790	14,21,790	—	28,43,580	25	—	—	—	—	—	28,43,580	—
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	8,96,219	50,563	93,999	—	10,40,781	40	3,58,488	20,225	18,800	—	3,97,513	6,43,268	8,96,219
<b>चालू वर्ष के लिए योग</b>	<b>54,81,980</b>	<b>15,18,334</b>	<b>31,58,922</b>	<b>—</b>	<b>1,01,59,236</b>		<b>13,79,719</b>	<b>38,617</b>	<b>1,54,345</b>	<b>—</b>	<b>15,72,681</b>	<b>85,86,555</b>	<b>54,81,980</b>
<b>पिछला वर्ष</b>	<b>32,44,656</b>	<b>1,90,046</b>	<b>33,17,168</b>	<b>27,712</b>	<b>67,24,158</b>		<b>6,96,897</b>	<b>28,507</b>	<b>5,27,859</b>	<b>11,085</b>	<b>12,42,178</b>	<b>54,81,980</b>	<b>32,44,656</b>

टिप्पणी: वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास की दरें लागू।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
 इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
 अनुसूची 9 – निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश

अनुसूची 9 – निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बॉण्ड	—	—
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम	—	—
6. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग (अ)	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 10 – अन्य निवेश

(राशि ₹ में)

अनुसूची 10 – अन्य निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियाँ	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	—	—
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम	—	—
6. अन्य (विवरण दें)	—	—
<b>योग</b>	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>क. चालू परिसम्पत्तियाँ</b>		
<b>1. वस्तु सूची:</b>		
क) सामान एवं पुर्जे	—	—
ख) खुले औजार	—	—
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड		
तैयार माल	—	—
कार्य प्रगति	—	—
कच्चा माल	—	—
<b>2. विविध देनदार:</b>		
क) छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	—	—
ख) अन्य	—	—
<b>3. हस्तगत नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)</b>	—	—
हस्तगत नकदी	—	—
अग्रदाय	15,000	15,000
<b>4. बैंक शेष</b>		
क) अनुसूचित बैंकों में :		
— जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
— बचत खाते पर (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	2,058	—
— बचत खाते पर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)	1,33,16,243	1,22,37,207
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में:		
— चालू खातों पर	—	—
— जमा खातों पर	—	—
— बचत खातों पर	—	—
<b>5. डाक घर बचत खाता</b>	—	—
<b>कुल (क)</b>	<b>1,33,33,301</b>	<b>1,22,52,207</b>

वित्तीय विवरण  
(गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
क) कर्मचारी	2,26,471	2,88,827
ख) अन्य संस्थाएँ जो उस संस्था के सदृश कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे हैं	—	—
ग) अन्य (विवरण दें)	—	—
2. नकदी में वसूली अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम एवं अन्य राशियाँ	15,000	—
क) पूंजी खाते पर	—	—
ख) पूर्व अदायगियाँ		—
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति	—	—
एनआईएससीआई (निकसी) को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हेतु अग्रिम भुगतान	—	—
सीपीडब्ल्यूडी को पुनरुद्धार हेतु अग्रिम भुगतान		5,05,127
पेट्रोल खाता	15,000	15,000
पूर्वदत्त व्यय		—
3. अर्जित आय:		—
क) चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेशों पर		—
ख) अन्य निवेशों पर		—
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		—
घ) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल हैं) अर्जित ब्याज	6,890	8,610
4. प्राप्य दावे – चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए शुल्क	1,30,000	—
5. स्टेशनरी एवं डाक भण्डार	24,731	54,294
योग (ख)	4,18,092	8,71,858
योग (क+ख)	1,37,51,393	1,31,24,065

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग  
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय</b>		
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	—	—
ख) कच्चे माल की बिक्री	—	—
ग) रद्दी माल की बिक्री	—	—
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रसंस्करण शुल्क	—	—
ख) पेशेवर/परामर्श शुल्क	—	—
ग) अभिकरण कमीशन एवं ब्रोकरेज	—	—
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	—	—
ङ) अन्य (विवरण दें)	—	—
<b>योग</b>	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची - 13 अनुदान/सब्सिडी

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सब्सिडी)		
1. केन्द्र सरकार	7,19,26,392	7,80,00,000
2. राज्य सरकारें	—	—
3. सरकारी अभिकरण	—	—
4. संस्थान/कल्याण संस्थाएँ	—	—
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	—	—
6. अन्य (विवरण दें) - सार्क से अनुदान	—	—
<b>योग</b>	<b>7,19,26,392</b>	<b>7,80,00,000</b>
चिड़ियाघरों से प्राप्त गत वर्ष का अप्रयुक्त शेष	18,87,247	—
वर्ष 2020-21 के दौरान चिड़ियाघरों द्वारा वापस की गई अनुदान राशि की अव्ययित शेष का पुनर्वेधीकरण	26,91,811	11,86,361
<b>कुल योग</b>	<b>7,65,05,450</b>	<b>7,91,86,361</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची - 14 शुल्क/अंशदान

	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 14 शुल्क/अंशदान		
1. प्रवेश शुल्क	—	—
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	—	—
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क (वाजा पंजीकरण शुल्क)	—	—
4. परामर्श शुल्क	—	—
5. अन्य (विवरण दें)	—	—
क) मान्यता/नवीकरण के लिए आवेदन के साथ चिड़ियाघरों से प्राप्त	7,15,002	5,10,000
<b>कुल</b>	<b>7,15,002</b>	<b>5,10,000</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची – 15 निवेश से आय

(राशि ₹ में)

अनुसूची – 15 निवेश से आय	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू	पिछला	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
चिन्हित/अक्षय निधियों के निवेश से आय (निधियों में हस्तांतरित)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	—	—	—	—
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेन्चर पर	—	—	—	—
2. लाभांश				
क) शेयर पर	—	—	—	—
ख) म्युच्युल फण्ड प्रतिभूतियों पर	—	—	—	—
3. किराया	—	—	—	—
4. अन्य (विवरण दें)	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—
चिन्हित/अक्षय निधियों को हस्तांतरित	—	—	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची - 16 रॉयल्टी और प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 16 रॉयल्टी और प्रकाशन आदि से आय		
1. रॉयल्टी से आय	—	—
2. प्रकाशन से आय	—	—
3. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची – 17 सावधि जमा/बचत खातों/ऋण पर अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 17 सावधि जमा/बचत खातों/ऋण पर अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	—	—
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	—	—
ग) संस्थान के साथ	—	—
घ) अन्य	—	—
2. बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	—	—
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	3,87,005	—
ग) डाकघर बचत खाता	—	—
घ) अन्य	—	—
3. ऋण पर:		
क) कर्मचारी	94,500	12,000
ख) अन्य	—	—
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	—	—
<b>योग</b>	<b>4,81,505</b>	<b>12,000</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची – 18 अन्य आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 18 अन्य आय		
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:	—	—
क) स्वामित्व वाली परिसम्पत्ति	—	—
ख) अनुदान से सृजित परिसम्पत्ति या निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति	—	—
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	—	—
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क (आरटीआई)	330	4,078
4. विविध आय	—	71,500
<b>योग</b>	<b>330</b>	<b>75,578</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
 इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
 31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
 अनुसूची – 19 तैयार माल के भण्डार में वृद्धि/कमी और कार्य प्रगति

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 19 तैयार माल के भण्डार में वृद्धि/कमी और कार्य प्रगति		
क) अंतिम रहतिया		
– तैयार माल	–	–
– प्रगतिगत कार्य	–	–
ख) आरंभिक रहतिया		
– तैयार माल	–	–
– प्रगतिगत कार्य	–	–
शुद्ध वृद्धि / कमी (क- ख)	–	–

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची - 20 स्थापना व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुसूची - 20 स्थापना व्यय</b>		
क) वेतन और मजदूरी	1,26,98,906	1,51,14,105
ख) भत्ता और बोनस	—	2,96,869
ग) भविष्य निधि में अंशदान	1,07,656	1,03,253
घ) अन्य निधियों में अंशदान (विवरण)	—	—
सेवा-निवृत्ति योजना	6,40,270	5,33,485
ड) कर्मचारी कल्याण व्यय	6,25,873	5,27,349
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	5,11,000	—
		—
छ) अन्य (विवरण दें) - एलटीसी नकद पैकैज	1,19,760	25,000
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	5,56,902	6,59,553
<b>योग</b>	<b>1,52,60,367</b>	<b>1,72,59,614</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची - 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुसूची - 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि</b>		
क) क्रय (स्टेशनरी)	3,66,494	2,65,817
ख) वाहन एवं दुलाई	5,590	1,07,239
ग) मरम्मत एवं रखरखाव (सामान्य + कम्प्यूटर)	4,130	41,534
घ) वाहन संचालन व्यय	3,70,866	93,270
ङ.) वाहन रखरखाव	71,298	1,83,094
च) डाक, टेलिफोन एवं संचार व्यय	73,824	1,07,621
छ) मुद्रण, प्रकाशन और पत्रिकाएँ	9,97,972	1,26,069
ज) यात्रा व्यय	1,81,342	32,73,561
झ) विधिक एवं पेशेवर व्यय	1,11,340	95,169
ञ) आतिथ्य व्यय	1,16,871	1,43,270
ट) विज्ञापन एवं प्रचार	93,125	3,93,421
ठ) लेखा परीक्षा शुल्क	—	2,60,967
ड) अन्य (विवरण दें) आउटसोर्स कर्मचारी वेतन	65,27,828	—
ढ) बैंक शुल्क	3,897	8,415
ण) अन्य व्यय	21,629	37,598
त) सदस्यता शुल्क	4,29,782	2,39,137
थ) किराया, दर एवं कर	—	—
द) अनुपयोगी सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर घाटा	—	—
ध) इमारत मरम्मत एवं रखरखाव	—	21,475
<b>योग (I)</b>	<b>93,75,988</b>	<b>53,97,657</b>
<b>II विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान</b>		
प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलनों पर व्यय	7,78,815	13,56,749
वाज़ा सम्मेलन पर व्यय	—	—
अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यय	31,46,000	23,25,075
चिड़ियाघरों की निगरानी और मूल्यांकन	1,05,282	10,88,553
बंद मोबाइल चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	—	—
पशुओं का परिवहन	—	—
<b>योग (II)</b>	<b>40,30,097</b>	<b>47,70,377</b>
<b>III मंत्रालय को वापसी योग्य सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि</b>	—	—
<b>योग (I+II)</b>	<b>1,34,06,085</b>	<b>1,01,68,034</b>

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची - 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी अनुदान	4,28,89,762	4,71,46,432
मंत्रालय को वापसी योग्य अप्रयुक्त सहायता अनुदान		
ख संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी		
योग	4,28,89,762	4,71,46,432

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची - 23 ऋणों / निर्धारित ऋण पर ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऋणों / निर्धारित ऋण पर ब्याज		
क) निर्धारित ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	—	—
ग) अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
31.03.2021 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग  
अनुसूची – 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के तहत तैयार किया जाता है और ये सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण पद्धतियों के अनुसार हैं।

2. अचल सम्पत्तियाँ

अचल सम्पत्तियाँ अधिग्रहण की लागत पर निश्चित होती हैं, जिनमें उनके अधिग्रहण घटा संचित मूल्यहास से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर शामिल हैं।

3. मूल्यहास

अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास आय कर अधिनियम के उपलब्ध दरो पर ह्रासित मूल्य पर प्रदान किया जाता है। सितम्बर के बाद अर्जित परिसम्पत्तियों का सम्पत्ति हेतु निर्धारित मूल्यहास के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. सामान्य

लेखाकरण नीतियों का अन्यथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण पद्धतियों के सामंजस्य में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)  
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
अनुसूची – 25 आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणीकरण  
31.03.2021 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

1. आकस्मिक देयताएँ

संस्था के प्रति दावों को ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता – शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) ।

2. पूँजी प्रतिबद्धताएँ

पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों के अनुमानित मूल्य प्रदान नहीं किया गया (अग्रिमों का शुद्ध) –शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)।

3. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का कारोबार के सामान्य क्रम में कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाए गए समग्र राशि के बराबर वसूल पर मूल्य है।

4. पिछले वर्ष के तदनुसूची ऑकड़ों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
5. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2021 के अनुसार तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते को तुलन पत्र के अभिन्न अंग के रूप में सलंगन किया गया है।
6. विभिन्न चिड़ियाघरों और अन्य संगठनों को जारी की गई राशि को उस वर्ष के व्यय के रूप में शामिल किया गया है जिसमें इसे जारी किया गया था।
7. अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लगाया गया था। “वेबसाइट का विकास” लेखा परीक्षा उदाहरण पर अचल संपत्ति-अमूर्त संपत्ति के तहत बनाया गया है। हालाँकि, इस योजना के तहत मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में वेबसाइट नहीं बनाई जा सकी।
8. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुसूची-7 “वर्तमान देनदारियों” में दर्शाए गए वर्ष 2019-20 से संबंधित चिड़ियाघरों की अव्ययित अनुदान ₹ 18,87,247/- को अनुसूची-13 – अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी) में स्थानांतरित कर दिया गया है जैसाकि मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान को इस निधि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कॉर्पोरेशन बैंक में जमा सहायता अनुदान से अर्जित ब्याज को चालू वित्त वर्ष के दौरान वेतन लेखा कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा  
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली-110 002

DGA/SD/EA/185/SAR/CZA /2021-22 /695

दिनांक:

सेवा में,

25 NOV 2021

Dr. S. P. Yadav,

Member Secretary,

Central Zoo Authority, MOEF & CC

6<sup>th</sup> floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex,

Lodi Road, New Delhi-110003

**विषय: SAR on the accounts of Central Zoo Authority for the year 2020-21**

महोदय,

मुझे वर्ष 2020-21 के लिए Central Zoo Authority का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीया,

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निदेशक पर्यावरण  
29/11/21

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ई के साथ पढ़े जाने वाले नियम के तहत 31 मार्च, 2021 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), नई दिल्ली के संलग्न तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते और प्राप्तियाँ और भुगतान खाते की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

2. इस अलग लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को केवल वर्गीकरण के संबंध में, सर्वोत्तम लेखांकन पृथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन उपचार पर शामिल किया गया है। कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियों को अलग से निरीक्षण प्रतिवेदन/सीएजी की लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से बताया जाता है।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाएँ और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है। एक लेखा-परीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जाँच करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम बताते हैं कि:-

- (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख) इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियाँ और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- (ग) हमारी राय में, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ई के तहत आवश्यक खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखा गया है, जहाँ तक की ऐसी पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।
- (घ) हम आगे बताते हैं कि-

(अ) तुलन-पत्र

1. संपत्तियाँ

1.1 अचल संपत्ति (अनुसूची-8) रू. 85.56 लाख

उक्त रू. 14.21 लाख के दो भुगतान के कारण रू. 28.43 लाख की राशि शामिल है जो प्रत्येक को निक्सी (एनआईसीएसआई) पैनलबद्ध फर्म वेलोसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को वेबसाइट विकास के लिए कार्यादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के विरुद्ध दिया गया है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान अमूर्त संपत्ति वेबसाइट विकास का पूँजीकरण किया। हालाँकि, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) 12 मई, 2021 को किया गया था और वेबसाइट गो लाइव होना अभी बाकी है। इसलिए, अमूर्त संपत्ति को अमूर्त संपत्ति-वेबसाइट विकास के बजाय पूँजीगत कार्य-प्रगति के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और प्रत्येक कार्य पर प्रगति को रू. 28.43 लाख कम बताया गया।

(आ). आय और व्यय खाता  
शून्य।

(इ). अनुदान सहायता  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान रू. 719.26 लाख का अनुदान सहायता प्राप्त किया और इसके पास पिछले वर्ष के रू. 765.05 लाख के कुल अनुदान में से रू. 45.79 लाख की अव्ययित राशि थी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 31 मार्च, 2021 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में रू. 45.73 लाख की शेष राशि को छोड़कर रू. 719.32 लाख की राशि का उपयोग कर सका।

(ई). सामान्य  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने न तो सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान किया है और न ही इसके लिए कोई लेखा-नीति आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-15 और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के समान प्रारूप के उल्लेखन में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची में प्रकट की गई है।

(उ). प्रबंधन-पत्र  
कमियाँ, जिन्हें लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन-पत्र के माध्यम से सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के 'लेखा-परीक्षा शुल्क' के लिए अनुसूची-7 "वर्तमान देयताएँ और प्रावधान" खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(च). पिछले अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम बताते हैं कि तुलन-पत्र, आय और व्यय खाता और प्राप्तियाँ और भुगतान खाते इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(छ). हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और महत्वपूर्ण मामलों के अधीन इस लेखा-परीक्षा के अनुलग्नक में उल्लिखित

अन्य मामलों को बताया गया है। प्रतिवेदन भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है।

- (1). जहाँ तक यह, 31 मार्च, 2021 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बकाया की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है।
- (2). जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खातों से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

लेखा-परीक्षा महानिदेशक  
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

आंतरिक लेखा-परीक्षा/नियंत्रण प्रणाली

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंतरिक विंग द्वारा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का लेखा-परीक्षा किया जाता है। वर्ष 2017-20 की अवधि के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का अंतिम आंतरिक लेखा-परीक्षा फरवरी, 2021 में की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

2.1 चिड़ियाघर की मान्यता नियम 2009 के नियम 3, 4 और 8 में अधिनियम की धारा 38एच के तहत चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके लिए आवेदन के साथ डीडी या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से रु. 10,000/- का शुल्क देना होगा और मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन अवधि की समाप्ति से 3 महीने पहले किया जाना आवश्यक है और नवीनीकरण हेतु देय शुल्क रु. 5,000/- होगा।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि विभिन्न चिड़ियाघर प्राधिकरणों से मान्यता अवधि की समाप्ति से पहले/बाद में मान्यता/नवीकरण के कारण प्राप्त भुगतान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अपनी रसीद बुक में दर्ज किए गए थे। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बैंको के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान भी रसीद बुक में लिए। इस संबंध में, निम्नलिखित तथ्य देखे गए:-

क. इनमें से कुछ रसीदें अज्ञात स्रोतों से बुक की गई थीं और उन्हें चिड़ियाघरों से प्राप्त शुल्क में शामिल किया गया है। चूँकि, प्राप्त धन के स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका, विशेष चिड़ियाघर और वैधता अवधि से संबंधित शुल्क का वास्तविक विवरण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा ही सुलझाया नहीं जा सका।

ख. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के तकनीकी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, 61 चिड़ियाघरों से रु. 5,75,000/- की राशि का भुगतान प्राप्त हुआ और रु. 13 चिड़ियाघरों से 1,30,000/- की राशि का भुगतान सहित कुल रु. 7,05,000/- तक देय था। लेकिन, आय और व्यय खाते के अनुसार, प्राप्त/प्राप्य शुल्क रु. 7,15,002/- के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार, रु. 10,002/- का अंतर है जिसे लेखा-परीक्षा को सूचित करते हुए समाधान करने के आवश्यकता है।

ग. आगे, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिनांक 25.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 30 जुलाई, 2020 को आयोजित तकनीकी समिति की 96<sup>वीं</sup> बैठक में कुल 85 चिड़ियाघरों का नवीनीकरण किया गया। इसलिए, वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्त/प्राप्त करने योग्य शुल्क दर्शाए गए रु. 7,15,002/- के स्थान पर रु. 8,15,002 (रु. 7,15,002 + रु. 1,00,000)/- होना चाहिए।

इसलिए, चिड़ियाघर-वार और वैधता अवधि-वार प्राप्तियों के मिलान के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव में, लेखा-परीक्षा वर्ष 2020-21 के दौरान चिड़ियाघरों के नवीनीकरण/मान्यता के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य वास्तविक शुल्क को सत्यापित करने में असमर्थ है।

2.2 वाउचर में कमियाँ

लेखा-परीक्षा द्वारा जाँच के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वाउचरों में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:-

विभिन्न पार्टियों को किए गए भुगतान के लिए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जीएआर-29 पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक विधेयक के प्रारूप में वाउचर तैयार कर रहा था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ता बिल, छुट्टी यात्रा रियायत बिल आदि के भुगतान के संबंध में कोई वाउचर नहीं बनाए गए थे, इसके बजाय बिलों को ही वाउचर के रूप में माना जाता था। इस प्रकार, प्रत्येक रसीद/भुगतान के लिए वाउचर तैयार करने के मूल सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा है।

2.3 पुस्तकालय-पुस्तक के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2020-21 के अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की मिसिल के साथ पुस्तकालय अभिलेखों की जाँच से पता चला कि पुस्तकालय की पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के अनुसार रु. 20,399/- की 41 पुस्तकें गायब पाई गईं। भौतिक सत्यापन 30 अप्रैल, 2021 तक पूरा किया गया था। हालाँकि, जीएफआर नियम 215 के अनुसार उचित जाँच के बाद इन नुकसानों को बट्टा खाते में डालने के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

3. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

उपभोज्य और गैर-उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मार्च, 2021 तक किया गया।

4. संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

संपत्ति का भौतिक सत्यापन मार्च, 2021 तक किया गया है।

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नियमित रूप से विक्रेताओं से 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काट रहा है, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर अपना मासिक रिटर्न ऑनलाइन जमा नहीं कर रहा है। तथापि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अन्य सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमित है।

निदेशक (पर्या. ले.)



SANJAY KUMAR JHA  
DIRECTOR GENERAL

अनुलग्नक ॥

महानिदेशक लेखापरीक्षा  
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग  
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,  
नई दिल्ली-110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS  
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE  
NEW DELHI-110002

DGA (SD)/EA/SAR/CZA/2020-21/ 698

Dated:

Dear Dr. Yadav,

25 NOV 2021

I have audited the annual accounts of Central Zoo Authority, New Delhi for the year 2020-21 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 25.11.2021, During the course of audit, some deficiencies were noticed (as per Annexure 'A') which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

Encl. As above

With warm regards.

Yours sincerely,

डा० एस.पी यादव,  
सदस्य सचिव,  
केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण,  
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
वी. विंग, 6 मंज़िल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. परिसर,  
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

प्रबंधन-पत्र के लिए सामग्री

1. वाज़ा, बार्सिलोना को रू. 1,61,377/- की भुगतान की गई राशि को चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम के तहत बुक नहीं किया गया था। इस प्रकार, मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों में से प्रत्येक को रू. 1,61,377/- कम करके दिखाया गया है।
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के 10 उपकरणों को 01.05.2020 से 27.27.2021 तक प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना किसी कार्यालयादेश के वर्क फ्राम होम के लिए जारी किए गए थे। इन 10 उपकरणों में से, एक एचपी प्रिंटर एवं एक एचपी कम्प्यूटर प्रो वन 400 को मई, 2020 में श्री रविन्द्र सिंह रावत, वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा एक-एक एचपी लैपटॉप श्रीमती नताशा एस. वशिष्ठ, तकनीकी सहायक एवं श्री प्रदीप कुमार रावत, निजी सचिव प्रत्येक को जून एवं जुलाई, 2021 में क्रमशः जारी किए गए थे। एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर, दो लैपटॉप एवं एक प्रिंटर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाया गया। ये उपकरण उन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नहीं लौटाए गए और न ही केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध थे। इसलिए, कम्प्यूटर परिधीय उपकरण सत्यापन योग्य नहीं थे।
3. सेवा प्रदाता द्वारा जीएसटी बिल प्रस्तुत किए बिना आँकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह (वाउचर संख्या 285/2020-21/सीजेडए, दिनांक 08.03.2021) को रू. 18,000/- की राशि का भुगतान किया गया था।
4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने लेखाओं की अनुसूची-7 'वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान' में वर्ष 2020-21 के लिए 'लेखा-परीक्षा शुल्क' का कोई प्रावधान नहीं किया।

निदेशक (पर्या. ले.)



Central Zoo Authority  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण



## CENTRAL ZOO AUTHORITY

B-1 Wing, 6th Floor,  
Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan,  
CGO Complex, Pragati Vihar,  
New Delhi, Delhi 110003  
Phone: +91-011-24367851/52  
Fax: +91-011-24367849  
Email: [cza@nic.in](mailto:cza@nic.in)  
Website: [www.cza.nic.in](http://www.cza.nic.in)



Central Zoo Authority  
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

